hello childline

संस्करण ६८ • सप्टेंबर २०१३

मामले का अध्ययन
पन्ना ०३

हमारी नई एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन्ग्रीद श्रीनाथ की ओर से
पन्ना ०८

बाल श्रम के विरूद्ध विश्व दिवस
पन्ना १४

चाइल्डलाइन, जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय, चौबीस घंटों के लिए, मुफ्त, आपातकालीन फोन आउटरीच सेवा है, जो उन्हें दीर्घकालिक पुनर्वास और देखभाल से जोड़ती है।

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

संपादक की मेज से

बचपन खुशियों भरा समय होता है किन्तु देश भर में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो काम करते हैं और अपने सपनों, आज़ादी और शिक्षा से कोसों दूर हैं। उन्हें स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए स्वयं ही काम करना पड़ता है। विश्व भर में, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। जो कि ११ प्रतिशत है। भारत में १० में से एक कामगार बाल श्रमिक है। यदि आप भारत की दसवीं जीडीपी को देखें तो आप देखेंगे कि भारत की जीडीपी में बाल श्रमिकों का काफी योगदान है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के आयोजन का समर्थन करता है। प्रत्येक वर्ष की १२ जून तिथि, समस्त प्रकार के बालश्रम के विरुद्ध बाल सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। चाइल्डलाइन देश भर के लोगों में बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और बालश्रम से होने वाली हानि के बारे में बताने का कार्य करती है। चंबा में स्कूलों में बालश्रम को ना कहो अभियान, जम्मू में जागरूकता रैली, मुम्बई में मेगा रैली, कोलकाता के बाहरी इलाकों में रैली आदि का आयोजन किया गया। चाइल्डलाइन के इस संस्करण में देश भर के केस स्टडीज़, किस्से, आदि सम्मिलित हैं।

आगे के अंक तक ....खुश रहो।

चाइल्डलाइन क्या है?

चाइल्डलाइन, बच्चों की सेवा व संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की २४ घंटे की फोन सेवा है। शुरूआत में १९९६ में, मुम्बई से इसकी शुरूआत हुई और अब देश भर के ३० राज्यों के २७९ शहरों में यह संस्था अपनी संवाएँ प्रदान कर रही है।

चाइल्डलाइन का उद्देश्य अधिकारहीन बच्चों का पुनर्वास करना और देखभाल करना है। **चाइल्डलाइन** आवासीय स्थलों में राहत और पुनर्वास, चिकित्सा व भावनात्मक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करती है।

Cover photo courtesy - Sarbeswar Mahapatra

मामले का अध्ययन

इन्दौर

रूमी को घरेलू बालश्रम से बचाया गया

प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न राज्यों से हज़ारों लड़कियों को इधर उधर भेजा जाता है। इनमें से कईयों को बढ़त्रे शहरों में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का लालच दिया जाता है जिससे वे बढते, बेहतर जीवन की शुरुवात कर सके। कई बार उन्हें वेश्यावृत्ति कराने या घरेलू काम कराने के लिए बहुत ही कम पैसों में बेच दिया जाता है।

रूमी को बड़े होने पर यह नहीं मालूम था कि उसके पिता कौन हैं। वह और उसकी माँ उड़ीसा के सुन्दरगढ़ के रायदिही गाँव में रहते थे। जब रूमी एक साल की थी तब उसकी माँ ने दोबारा विवाह कर लिया था। उसकी माँ ने बाद में उसके सौतेले भाई व बहन को जन्म दिया।

वह शासकीय विद्यालय की अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकी। और जब वह ७ वीं कक्षा में थी तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और उसे अपने गाँव के निर्माणाधीन भवन में मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस काम से उसे महज ४०० रू. मजदूरी मिलती थी। रूमी की आय उसके घर के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो रूमी अपने पड़ोसी के साथ बेहतर जीवन और बेहतर आय की आस में शहर आ गई। कई अन्य बच्चों की ही भाँति रूमी को भी दिल्ली ले जाया गया। जहाँ उसे घरेलू काम करने के लिए एक परिवार को बेच दिया गया और उसे कभी भी कोई तनख्वाह नहीं दी गई। एक दिन, जब वह अपने सहकर्मी राजू के साथ रसोई में काम कर रही थी तो उसके उसी सहकर्मी राजू ने उसका बलात्कार किया। रूमी मदद के लिए अपने मालिक के पास गई पर वहाँ उसकी बात अनसुनी कर दी गई। और उसकी तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया।

१५ दिनों के बाद, रूमी के पड़ोसी व उसके पति विकास को उसे (रूमी को) ले जाने के लिए बुलाया गया। फिर उसके साथ जख्म पर नमक छिड़कने जैसा हादसा दोबारा हुआ और विकास ने रूमी को अपने एक अन्य मित्र विशाल को बेच दिया। उसके बाद विशाल उसे इन्दौर ले आया और उसने भी रूमी को अपने एक अन्य मित्र विक्रम को बेच दिया। विक्रम ने भी उसे इन्दौर की मनीषपुरी कालोनी में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति राठौर सिंह को २०,००० रू. में बेच दिया। और उसे घरेलू नौकर की ही तरह काम करना पड़ा और अपने मालिक की गालियाँ सहनी पड़ीं। १५ साल की मासूम उम्र में उसे ऐसी वेदना सहनी पडी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

चाइल्डलाइन का हस्तक्षेप

चाइल्डलाइन इन्दौर को सेट रफैल स्कूल, इन्दौर की सिस्टर रोजीला का फोन आया । जिसके बाद चाइल्डलाइन की टीम फौरन हरकत मे आई और उसने मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस को दी। चाइल्डलाइन ने पुलिस के साथ मिलकर बच्चे को उसी दिन ही ढूँढ लिया। और रूमी को उस परिवार से छुड़ा कर पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने चाइल्डलाइन की इस बचाव अभियान में भरपूर मदद की। जल्द ही राठौर परिवार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। और रूमी की चिक्तसीय जाँच करने पर उसके साथ किए गए बलात्कार की पुष्टि हो गई।

रूमी को न्याय

रूमी द्वारा कम उम्र में झेली गई तकलीफों के लिए सम्पूर्ण न्याय नहीं हो सकता है। रूमी को सीडब्ल्यूसी के समक्ष ले जाया गया। सीडब्ल्यूसी ने उसके सौतेले पिता से मुलाकात की व्यवस्था की और यह फैसला किया गया कि उसे परदेसीपुरा इन्दौर में कन्याओं के लिए बने हुए विशेष गृह भेजा जाएगा। चाइल्डलाइन ने डब्ल्यूसीडी और पुलिस को भी इस बात की सूचना दी। और पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए उड़ीसा, दिल्ली व इन्दौर के मानव तस्करों व परिवारों, जिन्होंने रूमी को काम पर रखा और जिसनें रूमी का शारीरिक शोषण किया उन्हें खोज निकाला और उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी।

रतलाम

बालश्रम का फल । १२ वर्षीय बालक को जूस की दुकान से मुक्त कराया गया।

भारत के प्रथम व द्वितीय स्तर के शहरों में प्रायः बच्चों को ढाबों, जूस सेंटरों चाय की दुकानों आदि में काम करते हुए देखा जा सकता है। गरीब परिवार अपने बच्चों से काम करने की अपेक्षा करते हैं। कई मामलों में तो ये बच्चे ही अपने परिवार की आय का एकमात्र सहारा होते हैं। और कईयों को अपहरण करके काम पर लगा दिया जाता है।

चाइल्डलाइन रतलाम को शहर के एक बड़े प्रकाशन समूह में कार्यरत एक पत्रकार से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ। उसनें अपने पड़ोस के एक जूस सेंटर में काम करने वाले एक बच्चे की बात बताई। वह बच्चा अत्यधिक काम के कारण थका हुआ और बीमार दिख रहा था। यह देखकर वह पत्रकार चिंतित हुआ और उसने उस बच्चे के लिए चाइल्डलाइन से फौरन मदद माँगी।

चाइल्डलाइन की कुशल टीम मौके पर पहुँची। वे उस बच्चे के पास पहुँचे जो कि बहुत ही थका हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। मामले की जाँच करने पर टीम को केवल उस जूस दुकान के मालिक का नाम ही पता चल सका। इसके अलावा उस बच्चे से कोई अन्य जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद उस बच्चे को पास के ही अस्पताल में ले जाया गया क्योंकि उसे चिकित्सीय देखभाल की सख्त आवश्यकता थी। वहाँ के चिकित्सक ने उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराने की सलाह दी क्योंकि वह बच्चा पेट दर्द व तेज बुखार से पीड़ित था।

मामले का अध्ययन

मामले की जाँच करते हुए टीम व परामर्शदाता ने उस बच्चे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के किसी गाँव का रहने वाला है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे काम करने के लिए रतलाम भेज दिया गया। एक अंकल (मानव तस्कर) ने उसके परिवार को, उसे अच्छी तनख्वाह वाली अच्छी नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। और दुर्भाग्यवश अन्य बच्चों की तरह उसे भी ५० रू. रोज की मजदूरी में जूस की दुकान पर घण्टों तक काम करना पड़ा। उसे दिन में केवल एक बार ही भोजन दिया जाता था जिसके कारण उसके स्वास्थय मे बहुत गिरावट आ गयी और उस पर भी सितम ये कि मालिक उसे काम न करने के कारण पीटता भी था

इसके बाद, उस बच्चे ने ५ अन्य बच्चों के बारे में भी बताया जों उसके साथ गाँव से रतलाम काम करने के लिए आए थे। बाल सहायता समिति (सीडब्ल्यूसी) और पुलिस की विशेष बाल इकाई की सहायता से ४ बच्चों को खोज निकाला गया और उन्हें उनके परिवार में वापस भेजा गया। और जूस दुकान के मालिक और मानव तस्कर के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया।

जयपुर

मानव तस्करों से ६० बच्चों को बचाया गया, ९ गिरफ्तार

विजय गोयल, एक चिंतित व्यक्ति ने १०९८ पर फोन करके टीम को बताया कि ७० बच्चों को अवैध रूप से सियालदाह एक्सप्रेस से जयपुर से आगरा ले जाया जा रहा है। चाइल्डलाइन ने फौरन हरकत में आते हुए ट्रेन का समय और उसका प्लेटफॉर्म नंबर पता किया जिस पर वह ट्रेन आने वाली थी।

इसके बाद, टीम ने जीआरपी और पुलिस को एक आवेदन पत्र के माध्यम से बच्चों को बचाने के लिए मदद माँगी। जीआरपी की सहायता से दो दल बनाए गए । और अभियान को पूर्ण करने के लिए जैसे ही ट्रेन आई तो ये दोनों दल ट्रेन पर लपके। और ६० बच्चों को बचाया गया और ९ लोगों को गिरफ्तार किया गया।

बच्चों और उन मानव तस्करों को पुलिस की हिरासत में रखा गया। **चाइल्डलाइन** टीम ने बच्चों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत आरंभ की। इससे पता चला कि वे बच्चे जयपुर में काम करते थे और वे सब बिहार व झारखंड आदि से थे और अपने घर जा रहे थे। और ये मानव तस्कर उनके देखभाल कर्ता बन गए थे।

मानव तस्करों ने कुबूल किया कि वे उन बच्चों को काम कराने के लिए जयपुर लाए थे पर अभी वे उन्हें उनके घर ले जा रहे थे।

जब **चाइल्डलाइन** ने जीआरपी से इन सभी ९ मानव तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा तो जीआरपी ने कहा कि यदि वे उन बच्चों को काम कराने के लिए जयपुर ले जा रहे होते तो उन्हें सज़ा दी जा सकती थी किन्तु अभी वे उन बच्चों को उनके घर ले जा रहे हैं तो उन पर मामला बनाना कठिन कार्य है।

इसी बीच, सभी बच्चे सीडब्ल्यूसी के समक्ष उपस्थित थे और सभी ६० बच्चों को आगरा के पंचशील आश्रय स्थल में आश्रय प्रदान किया गया।

चाइल्डलाइन ने पुलिस से मानव तस्करों के सजा दिलाने के लिए कई बार पूछा। हालाँकि सबूतों के अभाव के कारण उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर सीडब्ल्यूसी ने **चाइल्डलाइन** को उन बचाए गए बच्चों की काउन्सलिंग करने का आदेश दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के एनटीपीसीआर के सदस्य बच्चो से मिलने आगरा आये वह श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग से मिली और उन्हें मामले की गहन जाँच करने का आदेश भी दिया।

मामले की गहन जाँच के बाद उन ९ मानव तस्करों को दोषी पाया गया। काउन्सलिंग के दौरान बच्चों ने जयपुर में चूड़ी कारखाने में देर–देर तक काम करना स्वीकार किया। और उन्हें वहाँ पर काम करते हुए एक साल से अधिक हो गया था। उन्हें अपने परिजनों से केवल एक बार बात करने की अनुमति थी। और घर जाने की बात करने पर उनकी पिटाई भी की जाती थी। उनकी मासिक तनख्वाह ५०० से १००० रू. के बीच थी जो कि उन्हें दिए जाने वाली रकम के वायदे के मुताबिक काफी कम थी।

आश्रय स्थल पर उन्हें खेलने की वस्तुएँ जैसेः क्रिकेट का बल्ला, बास्केट बॉल, फुटबॉल, रैकेट्स आदि उपलब्ध कराए गए। **चाइल्डलाइन** द्वारा सीडब्ल्यूसी को काउन्सलिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराई गईं। जल्द ही प्रत्येक बच्चे को उनके घर वापस भेज दिया गया।

गुवाहाटी

घरेलू कामगारों का भाग्य परिवर्तन: चाइल्डलाइन की विधिक सहायता

चाइल्डलाइन गुवाहाटी को मानव अधिकार विधि नेटवर्क (एचआरएलएन) के एक सदस्य द्वारा ११ वर्षीय मासूम बालिका की रहस्यमयी मौत के बारे में सूचना प्राप्त हुई। जब उस बालिका ने अंतिम साँस ली, वह उस समय एक घर में घरेलू नौकर की तरह काम कर रही थी।

कविता एक गरीब परिवार की बालिका थी। उसे उसके माता–पिता की अनुमति से श्रीमती व श्रीमान बोरा के घर पर घरेलू काम करने के लिए ३०० रू. मासिक तनख्वाह पर रख दिया गया पर उसे वह ३०० रू. कभी दिए ही नहीं गए।

एक दिन, श्रीमान बोरा के बड़े भाई कविता के घर पर उसके मृत शरीर को लेकर पहुँचे। कविता के माता–पिता उसके मृत शरीर को देखकर अवाक रह गए। कविता के मालिक ने कविता के माता– पिता को बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है। कविता के माता–पिता इस बात को स्वीकार नहीं कर सके और अपनी बेटी की मौत से टूट गए। कविता के माता–पिता जानते थे कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। और उन्हे लगा कि हो न हो इसके पीछे कविता के मालिक का ही हाथ है। उन्होंने फौरन ही कविता के मालिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करा दी। यह भी पता चला है कि बालिका के मृत शरीर का पोस्टमार्टम हो चुका है और रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

चाइल्डलाइन, श्रम विभाग के साथ मिलकर मामले का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन गई। जाँचकर्ता अधिकारी ने भी **चाइल्डलाइन** से मुलाकात की और मामले पर चर्चा की। और यही जानकारी सामने आ रही थी कि कविता ने आत्महत्या की है।

मामले का अध्ययन

फिर कविता की माँ मदद के लिए **चाइल्डलाइन** के दफ्तर आई। **चाइल्डलाइन** ने उन्हें आसाम स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी (एएससीपीएस) से मिलवाने में मदद की। साथ ही साथ, पुलिस के द्वारा की जा रही जांच के बारे मे भी पता लगा रहे थे। एएसपीसीएस के द्वारा पता लगाने पर मालूम चला कि बाल अधिकार की सुरक्षा के राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) को आवेदन की एक प्रति भेज दी गई है। काफी मशक्कत के बाद कविता की माँ को अपनी बेटी के लिए इन्साफ पाने के लिए एचआरएलएन से विधिक सहायता प्राप्त हुई।

बालन्गीर

चाइल्डलाइन बालन्गीर ने बंधक मजदूरों को मुक्त कराया

लोगों को फँसाकर बँधुआ मजदूरी के कई मामले हैं। जब लोगों को स्वयं व अपने परिवार को पालने में कठिनाई महसूस होती है तो वे आय के अन्य साधन खोजने लगते हैं। इसप्रकार की परिस्थितियों में बच्चे ही एकमात्र शिकार नज़र आते हैं। क्योंकि वे छोटे होते हैं और जब उनके अभिवावक उन्हें बाहर ले जाने का फैसला करते हैं तो वे कुछ नहीं कहते हैं। इसप्रकार उनका भविष्य दांव पर लगा दिया जाता है।

पश्चिमी ओड़ीशा के बालन्गीर जिले मे स्थित बाबजा गाँव में, दो छोटी जाति के परिवारों को अपनी जीविका चलाने में कठिनाई हो रही थी। उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मवेशियों और जंगली पर्दावार जैसेः पत्तों आदि पर निर्भर रहना पड़ता था। जब ये उत्पाद पर्याप्त नहीं हुए तो उन्होने अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओड़ीशा के अन्य भागों में पलायन करना आरंभ कर दिया।

दो माह पूर्व इन दोनों परिवारों ने रोजगार की तलाश में अपना गाँव छोड़ दिया। लक्ष्मण और निदार, साली, संजुक्ता, अजित व शकुन्तला पाटनिया जो क्रमशः १०वीं, ९वीं, ३री व पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता तथा दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले अखिल व तुलसा पाटनिया के साथ उनके माता–पिता भीमा व सारी पाटनिया को एक बिचैलिए/ठेकेदार (दलाल) के माध्यम से कटक जिले के महन्गा गाँव में ईंट के भट्टे में रोजगार मिल गया।

रोजगार के मौखिक अनुबंध के अनुसार उन्हें १०,००० रू. प्रति व्यक्ति मासिक दिया जाना तय हुआ पर उन्हें वास्तव में ३००० रू. ही दिए गए। उन्हें ५०० रू. साप्ताहिक के हिसाब से ६ सप्ताह तक ३००० रू. दिए गए। जब उन्होने बाकी की रकम की माँग की तो उन्हें बताया गया कि बाकी के पैसे बिचैलिए को दे दिए गए हैं। जबकि बिचैलिए ने ऐसी किसी भी अभियोग से इन्कार किया। जब उन्हें तयशुदा रकम नहीं दी गई तो उन्होंने काम छोड़ने का निश्चय किया। तो ईट भट्टे के मालिक ने उन्हें हथियार दिखा कर धमकाया और उन्हें बंधक बनाकर दो महीने तक बँधुआ मजदूरी कराई।

छोटे बच्चों पर इस घटना का प्रभाव

ईट भट्टे का वातावरण बहुत ही खतरनाक था।बच्चों से सुबह ६ बजे से लेकर रात ९ बजे तक १५ घण्टों तक लगातार काम कराया जाता था। और इसके बदले में उन्हें न तो ठीक से खाना दिया जाता था और न ही रात में पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए जाते थे। पोष्टिक आहार के अलावा उन्हें स्वच्छता से भी समझोता करना पड़ता था क्योंकि कपड़े तक धोने नहीं दिए जाते थे। जिसके कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था।

चाइल्डलाइन को फोन कॉल प्राप्त होता है।

चार बच्चों के पिता, लक्ष्मण पटानिया ने **चाइल्डलाइन बालन्गीर** और सीडब्ल्यूसी को ईट भट्टे में अपनी स्थिति के बारे में सूचित किया। दोनों संगठनों ने कटक मे अपनी–२ शाखाओं को सूचित किया और उन्होंने पूरे मामले की जाँच करने का निश्चय किया।

एक बचाव अभियान की योजना बनाई गई। ईट भट्टे में पहुँचने पर अधिकारियों ने सबसे पहले जो देखा वह था बच्चों का ईट का काम करना। चाइल्डलाइन के अधिकारी ने शिकायतकर्ता लक्ष्मण पटानिया से बात की। तो उसने बताया कि किस तरह ईट भट्टे के मालिक ने उनके साथ बर्ताव किया और किस प्रकार उन्हें प्रताड़ित किया।

चाइल्डलाइन नें बचाव में सहायता के लिए मण्डल श्रम अधिकारी (डीएलओ) से मदद के लिए निवेदन किया। इसके बाद, पुलिस की मौजूदगी में दोनों परिवारों को महंगा पुलिस थाने ले ताया गया और उसके बाद **चाइल्डलाइन कटक** ले जाया गया।

चाइल्डलाइन कटक ने दोनों परिवारों को बचाया और उन्हें सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया। और परिणाम के अनुसार, उन्हें कुछ समय के लिए कटक में आश्रय स्थल में रखा गया। ईट भट्टे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और सीडब्ल्यूसी ने कटक डीएलओ और महंगा पुलिस स्टेशन से ईट भट्टे के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की माँग की।

इसके बाद, सीडब्ल्यूसी के आदेशानुसार उसी दिन कटक डीएलओ ने बँधुआ मजदूरों का औपचारिक बयान दर्ज किया और दोनों परिवारों को बालन्गीर में बसाया। हालिया समाचार के अनुसार, डीएलओ, दोनों परिवारों को क्षतिपूर्ति देने की प्रक्रिया कर रहे हैं।

■ बच्चों को भारत के उत्पादक नागरिक बनाने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाना और स्वास्थ्य रूप से बड़ा किया जाना चाहिए। किसी भी बच्चे को अपनी आजीविका के लिए काम नहीं करना चाहिए।

मामले का अध्ययन

हैदराबाद

चाइल्डलाइन ने स्वाती को शिक्षा का अधिकार पाने में मदद की

हैदराबाद के पास श्रीकाकुलम कस्बे में , एक स्वाती नाम की १२ वर्षीय अनाथ बालिका रहती थी। स्वाती ने बहुत ही कम उम्र में अपने माता–पिता को खो दिया था। और वह अपने चाचा की देख–रेख में रहती थी। स्वाती के चाचा उसे हैदराबाद में एक नामी गिरामी व्यापारी के घर में घरेलू काम करने के लिए ले कर आए। उसके मालिक ने उसे १८ वर्ष की होने पर ५०,००० रू. देने का आश्वासन दिया।

शहर में स्वाती का जीवन आसान नहीं था। उसे सुबह ५ बजे से लेकर आधी रात तक घर के सभी काम करने पड़ते थे। उसे हर काम करने की पाबंदी थी यहाँ तक कि उसे घर छोड़ने की अनुमति भी नहीं थी। उसे आधी रात को बचा कुचा भोजन खाने को दिया जाता था। और समय पर काम न करने पर उसे शारीरिक प्रताडना भी दी जाती थी। **चाइल्डलाइन** को उसके एक पड़ोसी ने इस घटना की जानकारी दी। शीघ्र ही एक टीम घटनास्थल पर जाँच करने के लिए गई। जब टीम ने दरवाजे की घण्टी बजाई तो एक परेशान सी दिखने वाली लड़की ने दरवाजा खोला। वह दुखी व कमजोर दिखाई दे रही थी। टीम ने हालात को और समझने के लिए उससे

कुछ सवाल पूछने आरंभ किए। उसने उन्हें अपनी हालत के बारे में और उसके द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में बताया।

उसी दिन, **चाइल्डलाइन** नें, उस लड़की को बचाने के उद्देश्य से सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क किया। जबकि घर पर थी और उसका मालिक काम से बाहर गया हुआ था। बचाव कार्य बहुत ही सावधानीपूर्वक किया गया। लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसके मालिक को श्रम विभाग में सहायक आयुक्त से मिलने बुलाया गया। स्वाती को **चाइल्डलाइन** की देख–रेख में काउन्सलिंग के लिए और अपना बयान दर्ज कराने के लिए रखा गया।

सीडब्ल्यूसी ने मामले में पहल की। उनके निर्देशन में स्वाती को बालिकाओं के लिए बने हुए शासकीय आवास में निम्बोलिअड्डा, हैदराबाद भेज दिया गया। श्रम विभाग में स्वाती के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही करने का निवेदन किया। चूँकि वह व्यापारी काफी प्रभावशाली था इसलिए उसके विरूद्ध कभी भी कोई मामला दर्ज नहीं हो सका था।

चाइल्डलाइन के पास वकील और अन्य प्रभावशाली लोगों के लड़की को उस व्यापारी के पास वापस भेजने के लिए लगातार धमकी भरे फोन आते रहे। हालाँकि **चाइल्डलाइन** उनके दबाव में नहीं आई और आज स्वाती खुश है और स्कूल जा रही है।

राउरकेला

ओड़ीशा के ११ बच्चों को बँधुआ मजदूर बनाकर बेच दिया गया।

११ मासूम बच्चों की दुर्गति तब शुरू हुई जब उनकी गरीबी और खराब आर्थिक स्थिति ने उन्हें काम की तलाश में उत्तर भारत पहुँचा दिया। इन बच्चों को बिमल ओराम, केलसू साहू द्वारा राजस्थान में अच्छी पगार वाली नौकरी और रहने के स्थान का झाँसा देकर फँसाया गया। पर उन्हें राजस्थान के बजाए शिमला में राजू रंगा प्रा. लि. रामपुर में नौकरी दी गई।

इंदिरा, जवारा, बिचा, सुशील, बुधवा, फागू, ईतो, करमा, भूपेन, लेधू, और जोस नें एक सुरंग में बंधुआ मजदूर की तरह काम करना आरंभ किया, जहाँ उन्हें शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता था। उनके मालिक ने उन्हें मूलभूत सुविधाएँ भी प्रदान नहीं की। ऐसे हालात से त्रस्त व दुखी होकर २ बच्चे भागने में सफल हो गए।

अपने घर वापस पहुँचने पर, उन्होंने अपने माता–पिता को संपूर्ण घटना बताई। तो उन दोनों के माता–पिता ने अन्य बच्चों को छुड़ाने के लिए **चाइल्डलाइन राउरकेला** से मदद माँगी। **चाइल्डलाइन** के उन्हें बिसरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। पुलिस के द्वारा श्रम संबंधी किसी भी मामले में कार्रवाई करने से मना करने पर बच्चों का दिल छोटा हो गया।

चाइल्डलाइन और माता–पिता नें सहायक श्रम आयुक्त (डीएलओ) के पास मदद के लिए गुहार लगाई।

चाइल्डलाइन शिमला और रामपुर एएसपी एस अरूल कुमार (आईपीएस) के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस फौरन हरकत में आई। और बंधुआ मजदूरी के काम में कार्यरत बच्चों का **बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम १९७६** के अंतर्गत कार्यवाई करके उन्हें छुड़ाने में सफल हुई।

इसके बाद, बच्चों को प्रवासी आयुक्त, ओड़ीशा सरकार, नई दिल्ली के सुपुर्द कर दिया गया। और फिर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया। प्रधान प्रवासी आयुक्त श्री एस.के भार्गव नें बच्चों को **चाइल्डलाइन** की टीम के साथ दिल्ली से रामपुर ले जाने के लिए अपने एक स्टाफ को साथ में भेजा। उन्होंने सुंदरगढ़ कलेक्टर को बच्चों को झाड़सूगड़ा स्टेशन पर लिए जाने के व्यापक इंतजाम करने को कहा। और इसप्रकार बच्चे अपने माता–पिता के साथ अपने–२ घर चले गए।

जयपुर

पूर्वी भारत के १५० बच्चों का बंधुआ मजदूर की भाँति शोषण

किसी खूबसूरत साड़ी को बनाने के पीछे किसी बच्चे के नन्हें–२ हाथों की दिन–रात की मेहनत हो सकती है। भारत में कई कमजोर बच्चे हालात के शिकार होकर और बेहतर भविष्य की आस में अपने बचपन की कुर्बानी दे देते हैं। यह १५० बच्चों की एक ऐसी कहानी है जो जयपुर की जरी के काम की इकाई में काम करते हैं।

मामले का अध्ययन

एक अनाम फोन कॉल की निशानदेही पर **चाइल्डलाइन जयपुर** को पता चला कि बहुत सारे बच्चे छोटे–२ कमरों में बिना किसी प्रकाश व स्वच्छ हवा के काम करते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से मानव तस्करी करके लाए गए बच्चों के लिए ये घर के साथ–साथ कार्य स्थल भी हैं।

इस सूचना के प्राप्त होने पर **चाइल्डलाइन जयपुर** ने पुलिस की मदद से छापामार कार्यवाई करके जरी का काम करने वाले १५० बच्चों के लिए बचाव अभियान चलाया।

बचाव दल ने प्रत्येक ज़री इकाई में ३० से लेकर ५० बच्चों को बहुत ही खराब परिस्थिति में काम करते हुए पाया। वहाँ बच्चों से २०० रू० के मासिक वेतन पर रोज़ाना बिना रुके १२ से १४ घंटे तक काम कराया जाता था।

इन बच्चों नें न सिर्फ अपना बचपन खोया बल्कि अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी खोया है। आज १० व्यक्तियों को बच्चों का अवैधानिक प्रयोग के मामले में बाल न्याय अधिनियम (जेजेबी) के तहत गिरफ्तार किया गया। बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) अधिनियम १९८६ के अनुसार, ज़री का कार्य बच्चों के लिए अत्यधिक श्रम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

कोलकाता

घर में उत्पीड़न

शेरीन, दुर्गापुर की एक अनाथ बालिका टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में रहने वाले दीपक व तापसी के घर पर काम करती थी। शेरीन को घर का सारा काम जैसेः सफाई धुलाई, व १० वर्षीय बच्चे की देखभाल आदि करना पड़ता था। इसके बदले में उसे काई भी पगार नहीं दी जाती थी और उसे कह दिया गया था कि उसकी पगार उसके घर भेज दी जाती है।

उसकी दुर्गति में और भी बढ़ोत्री तब हुई जब उस पर प्रार्थना कक्ष में रखे हुए गुल्लक में से पैसे चुराने का आरोप लगाया गया। तब उसे सच्चाई उगलवाने के लिए बेंत से पीटा गया व धमकाया भी गया। और उसके मालिक ने उसकी कोई भी फरियाद नहीं सुनी।

गुस्से में उबलते हुए उसके मालिक दीपक ने कड़कड़ाती ठण्ड में खुली छत पर ठिठुरते हुए छोड़ दिया। सौभाग्य से एक पड़ोसी ने उसे सुबकते हुए और ठण्ड से काँपते हुए देख लिया। और **चाइल्डलाइन कोलकाता** को मदद के लिए फोन कर दिया।

चाइल्डलाइन शिकायत की वैधता की जाँच करने के लिए मौके पर पहुँची। टीम को बालिका के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दिए। उस दिन के बाद, चाइल्डलाइन की टीम स्थानीय पुलिस के साथ उस घर पर पहुँची और बहुत नाटक होने के बाद उस बच्ची को बचा लिया गया।

जैसे के शेरीन के घाव बहुत गंभीर थे तो उसे **चाइल्डलाइन** के द्वारा इलाज के लिए बी एन बोस मार्ग में स्थित अस्पताल ले जाया गया। भयभीत बालिका के शरीर में कई गंभीर घाव थे। और उसने **चाइल्डलाइन** से कहा कि मुझे छोटी–छोटी गलतियों पर सज़ा दी जाती थी। और घर की मालकिन मुझे उसकी मर्जी के मुताबिक काम न करने पर अक्सर पीटती थी।

चाइल्डलाइन कोलकाता ने दम्पति के विरूद्ध, भारतीय दण्ड संहिता के बाल न्याय अधिनियम, बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) अधिनियम १९८६ के तहत एफआईआर दर्ज कराई। अभी उस बालिका को राज्य महिला एवं विकास विभाग के बालिका गृह में रखा गया है।

* बच्चों की पहचान व सुरक्षा की दृष्टि से उनके नाम बदल दिए गए हैं।

- भारत की १.२१ बिलियन जनसंख्या में लगभग ४३ प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्ष से कम उम्र के बच्चों की है। लगभग ४७२ मिलियन। उनमें से करीब ४० प्रतिशत (१८० मिलियन) बच्चे कई कारणों से हाशिए पर हैं, जैसेः गरीबी, बीमारी, निःशक्तता, मानव तस्करी, शोषण, दुष्कर्म, विवाद, आपदा इत्यादि।

फोकस में

हेलो चाइल्डलाइन दीदी...

चाइल्डलाइन के कार्य का भावनात्मक पक्ष, विषम परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चों की परिस्थिति का सख्ती से सामना करना भी है। १६ मई से ३१ मई तक ३ सप्ताह में हमारे **चाइल्डलाइन** संपर्क केंद्र के २४ घंटे की मुफ्त फोन सेवा (१०९८) पर पूरे उत्तर व पश्चिमी भारत से १.१५ लाख कॉल प्राप्त हुए। जिनमें से अधिकांश कॉल बच्चों व चिंतित व्यक्तियों के थे जो जानकारियाँ पाने के लिए, सलाह लेने के लिए, और संवेदना व्यक्त करने के लिए थे।

बहरहाल १८९२ मामलों में (औसत ११८ प्रतिदिन), बच्चे को हमारी और अधिक सक्रीयता की आवश्यकता है।

५३० कॉल्स तो गुमशुदा बच्चों के बारे में थे, जो यात्रा के दौरान अपने परिवारों से, मेले में खो जाने से, या बाहर खेलते–खेलते गायब हो गए थे। बाल श्रम के २२७ मामले पाए गए, जिसमें भिखारी बालक, अवैध रूप से कार्यरत या घरेलू काम करने वाले बच्चे, होटलों या अन्य कोई कठिन काम करने वाले बच्चों के संबंध में थे।

१६ अन्य मामलें बच्चों की तस्करी, बाल श्रमिक व सेक्स व्यापार आदि के थे।

२०० से अधिक कॉल शिक्षा संबंधी थे। जैसे कि स्कूल जाने से वंचित बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आदि।

१४७ कॉल बेघर बच्चों के विषय में थे। जिसमें कुछ ने घर त्याग दिया था, कुछ अनाथ थे, कुछ ऐसे माता–पिता के भी कॉल थे जो अपने बच्चों की देख–भाल नहीं कर सकते थे।

८८ मामले शारीरिक प्रताड़ना के थे। जिसमें २४ कामुक रूप से प्रताड़ित थे और १६ बच्चों के साथ बलात्कार किया गया था।

७८ मामले ऐसे बच्चों के थे जो रोज़गार की तलाश में या बड़े शहरों की तड़क–भड़क से प्रभावित होकर, या भूख, गरीबी, उपेक्षा से तंग आकर घर से भाग गए थे।

७४ मामले बाल विवाह के थे।

२६ मामले शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों के थे जिन्हें सहायता की आवश्यकता थी।

१५ बच्चे शराब व अन्य मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए सहायता चाहते थे।

केवल १३ मामले ऐसे थे जिनमें कोई कानून का उल्लंघन किया गया था।

७ मामले बच्चों के दुर्घटना में घायल होने के थे।

शेष कॉल्स अस्वस्थता, मानसिक आघात, पारिवारिक कलह आदि से संबंधित थे।

इस अवधि के दक्षिण व पूर्वी क्षेत्रों के अवलोकन के आँकड़ अभी आने बाकी हैं। **चाइल्डलाइन** के सभी के केंद्र के स्टाफ के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक कॉल को धैर्यतापूर्वक सुना जाता है और उनकी काउन्सलिंग की जाती है। पूरे देश के १२९ शहरों ,जिलों की टीमें प्रभावित बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे को उसके घर वापस भेजने के लिए, उसे कानूनी, चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने, आवास उपलब्ध करानें, अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने, पुलिस व बाल कल्याणकारी समितियों को सक्रीय कराने में हमेशा तत्पर रहते हैं।

दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, और अवसाद के अंतहीन मामलों में गलतियाँ हो जाना स्वाभाविक है; और ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद न कर पाने में निराशा होती है जो **चाइल्डलाइन** तक नहीं पहुँच पाते या जिनकी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुँच पाती। फिर भी नृशंसता से बढ़ती हुई कॉल की संख्या भी आशावाद के कारण है। हर एक रिपोर्ट इस जागरूकता का प्रतिनिधित्व करती है कि संकट से घिरे बच्चों को चुपचाप पीड़ा सहने की जरूरत नहीं है। वे लोग जो उनकी देखभाल करते हैं उनके लिए अवश्य ही एक एक जीवन रेखा है। और हम हर दिन इस सुनिश्चितता के करीब पहुँच रहे हैं कि, भारत का कोई भी बच्चा यह महसूस न करे कि उनकी जरूरत के समय उनके साथ कोई भी नहीं है।

इन्ग्रिद श्रीनाथ
एक्जीक्युटिव डायरेक्टर
चाइल्डलाइन इंडिया फाउन्डेशन

@ingridsrinath

child labour in india भारत में बालश्रम

पूरे विश्व के बाल श्रमिकों की तुलना में भारत में बाल श्रमिक सबसे अधिक संख्या में हैं। १९९१ में की गई जनगणना में ११.२८ मिलियन बाल श्रमिकों की तुलना में २००१ की जनगणना में बाल श्रमिकों की संख्या १२.५९ मिलियन हो गई है जो कि पहले की अपेक्षा अधिक है। हालांकि बहुत से बच्चों की गिनती ही नहीं हो पाती है। भारत में बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) अधिनियम को लागू हुए २७ वर्ष हो चुके हैं। फिर भी भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। हमारा स्वयं का किया हुआ अवलोकन दर्शाता है कि भारत में १८ वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का प्रतिशत ११ है।

बाल श्रम व भारत के विकास गाथा पर अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें :
http://www.childlineindia.org.in/Child-Labour-India-growth-story.htm

चिंतित होना

- बाल श्रम के आंकड़े निराशापूर्ण व पुराने हैं जो कि स्थितियों और योजनाओं के गलत मूल्यांकन का ही परिणाम है।
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (ऑडिट रिपोर्ट/सिविल) अपनी नियमित रिपोर्ट में बाल श्रमिकों की सही संख्या दिखाना आरंभ किया है। या यह कहा है कि कुप्रशासन के कारण ऐसे बच्चों की पहचान के लिए आवश्यक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की गई है। पूरे देश में लाखों बच्चे बचपन से ही काम करने को मजबूर हैं।
- बाल श्रम को बच्चों व मानवता के विरूद्ध अपराध नहीं माना जाता है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, बच्चों के विरूद्ध विशेष व स्थानीय कानून के तहत किए गए अपराध का डाटा उपलब्ध कराते समय बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) अधिनियम और बंधुआ मजदूर अधिनियम (भारत में बच्चों की वास्तविक स्थिति, हक़ः बाल अधिकार का केंद्र) के तहत पंजीकृत अपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी प्रदान नहीं की जाती है।
- अपराध सिद्ध होने के मामले में बाल श्रम कानून बहुत ही कमजोर सिद्ध हुआ है, जिसका कारण इस कानून का ठीक से लागू न होना भी है।बालश्रम अधिनियम के अंतर्गत दर्ज २५०४ मामलों मे जनवरी २००३ से केवल ३१८ ही सिद्ध हो पाए हैं शेष दोषमुक्त बरी कर दिए गए हैं।
- बाल श्रम न केवल बाल श्रम कानून व कुछ अन्य कानून के अंतर्गत आता है बल्कि बाल न्याय कानून के अंतर्गत भी आता है। जिसमें कहा गया है कि बच्चों को देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता है। हालांकि ऐसे बच्चां के बचाव व पुनर्स्थापन के लिए बाल कल्याण समिति के साथ श्रम विभाग और संबंधित राज्य/जिले के प्रशासनिक विभाग दोनों ही के उलझन से दुविधा उत्पन्न होती है जिससे बच्चों को हानि होती है।

यद्यपि बाल श्रम कानून के बारे में जागरूकता आई है किन्तु अभी भी कई लोग बच्चों को काम पर रख रहे है क्योंकि वे जानते है कि उनके विरूद्ध कोई भी कार्यवाई नहीं होगी। या होगी तो वो भी मामूली। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की चर्चा में शामिल होने और हस्ताक्षर कर लेने के बाद भी बाल श्रम अधिनियम १९८६ बच्चों की समस्या को समझने के लिए काफी नहीं है। कानून में सश्रम व अश्रम संबंधी कई विसंगतियां हैं जबकि वास्तव में किसी भी प्रकार का काम बच्चे के मूल अधिकार जैसेः जीने का अधिकार, विकास, सहभागिता आदि के अधिकार का हनन है। सश्रम क्षेत्र के तहत काम पर प्रतिबंध लगाने और अश्रम क्षेत्र के काम पर नियंत्रण रखने से बच्चों को काम पर रखने का अधिकार मिल जाता है और कानून कमजोर पड़ जाता है। और यह ६ – १४ वर्ष के बच्चों को दिए गए शिक्षा के अधिकार के भी विरोधाभाषी है। विधेयक में दी गई बच्चों की परिभाषा भी यूएनसीआरसी की परिभाषा व बाल न्याय (बच्चों की देखभाल व सुरक्षा) संशोधित अधिनियम २००६ से भिन्न है। इसलिए इस अधिनियम में जल्द से जल्द संशोधन की आवश्यकता है। (ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना २००७–२०१२ के लिए बच्चों के विकास के लिए कार्यरत समूह – एक रिपोर्ट)।

वास्तविकता यह है कि बाल श्रम विधेयक, असली समस्या को समझने में नाकाम साबित हुए हैं। वर्तमान का कानून, बाल श्रम को केवल नियंत्रित करता है, प्रतिबंधित नहीं करता है । २००६ की अधिसूचना जिसके अनुसार बच्चों के घरों व होटलों में काम करने पर रोक लगाई गई है, कमजोर कार्यान्वय के कारण कानून को लागू किए जाने के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाती है। ऐसे मामलों में कड़ी सजा दिए जाने से कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों के मन में बाल श्रम कानून के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है।

बाल श्रम कानून, बच्चों के अधिकारों के हनन का पुख्ता उदाहरण है। जिसे जटिल सामाजिक समस्याओं की भांति गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत में बच्चों का विभिन्न परिदृश्यों में काम करते देखा जाना बहुत ही आम घटना है। चाहे इसके लिए उन्हें भुगतान किया जा रहा हो अथवा नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों का प्रतिशत उल्लेखनीय है। उन्हें खेती व इससे जुड़े अन्य कामों में लगाया जाता है। इसके बाद निर्माण क्षेत्र का क्रम आता है जिसमें १६.५५ प्रतिशत बच्चे कार्यरत हैं। बाल श्रमिकों के कुल प्रतिशत में से ८.५ प्रतिशत हिस्से में होटलों, रेस्टोरेंट्स में व व्यापार में लगे हुए बच्चे आते हैं। बाल श्रम पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि बच्चों को आर्थिक क्षेत्रों में अनौपचारिक रूप से व आकस्मिक आधार पर रखा जाता है इन्हें कम पगार दी जाती है और दिन में कई घंटे काम कराया जाता है। भारत में बाल श्रम का महत्व– एनसीपीसीआर का एक आंकलन।

बाल श्रम विशेष कर सश्रम क्षेत्रों में, इनके विरूद्ध विधेयक होने व सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी बच्चों को सश्रम व अश्रम क्षेत्रों के कामों में लगाया जा रहा है।

child labour in india भारत में बालश्रम

बाल श्रम का महत्व १९९१ से २००१ के मध्य लगभग एक मिलियन बढ़ गया है।
बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) अधिनियम के बारे में यहां से जानकारी प्राप्त करें।
http://www.childlineindia.org.in/Child-Labour-Prohibition-and-Regulation-Act-1986.htm

जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश भर में बाल श्रम के महत्व का रुझान एक सा नहीं है। भारत के सभी राज्यों में बाल श्रम का सबसे अधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में लगभग १५ प्रतिशत रहा। उसके बाद भारत में बाल श्रम का आंध्र प्रदेश १०.८ प्रतिशत, राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, में पृथक–पृथक रूप में १०,८.८ और ८ प्रतिशत रहा । भारत में बाल श्रम का महत्व– एनसीपीसीआर का एक आंकलन।

वर्ष भर में **चाइल्डलाइन** को लगभग ४ मिलियन फोन कॉल प्राप्त होती है। जिसमें से अधिकतर बच्चों को बचाने, या बच्चों के काम करने के संबंध में होती हैं। वर्ष भर में चाइल्डलाइन नें बाल श्रम के कई मामलों में हस्तक्षेप व कई मामलों का साक्षी बना। **चाइल्डलाइन** का बाल श्रम के खिलाफ युद्ध १९९६ में इसकी शुरुआत से ही चला आ रहा है। **चाइल्डलाइन** की १०९८ फोन कॉल सेवा की शुरुआत होने से सर्कसों से बच्चों का बचाव, ज़री उद्योगों में कार्यरत बच्चों का बचाव, मानव तस्करों द्वारा बच्चों की तस्करी व अन्य प्रकार के बाल श्रम के मामले सुलझाए गए हैं।

चाइल्डलाइन के द्वारा बाल श्रम के उन्मूलन में काफी काम किया गया है। मौजूदा कानूनों की सिफारिशें, पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता अभियान, मदद के लिए आए कॉल पर बचाव अभियान, लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, समस्या पर आधारित एनिमेशन फिल्मों का निर्माण, आदि। **चाइल्डलाइन** नें चूड़ी कारखानों में काम करने वाले बच्चों, भवन निर्माण कार्य में लिप्त बच्चों, और घरेलू कार्य करने वाले बच्चों को तत्परता से बचाया और १०९८ हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों की बुनियादी जरूरतों के स्तर पर कार्य किया है। **चाइल्डलाइन** के आंकड़े बताते है कि बाल श्रम संबंधी कॉल्स की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। नीचे दिए गए ग्राफ से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है:

Trend of Child Labour specific calls received on CHILDLINE 1098 from 2009-2012

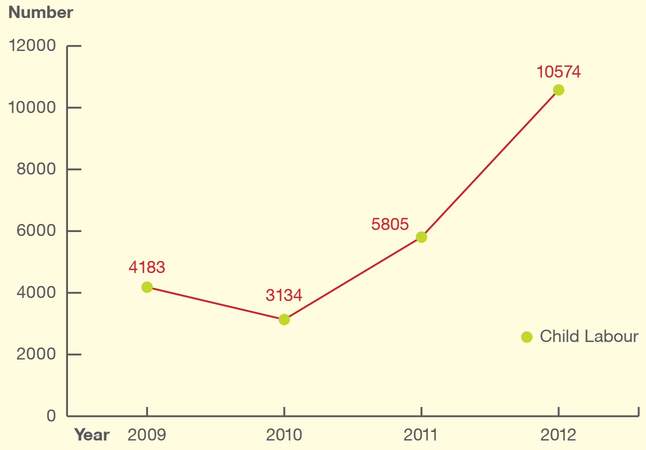

- सरकार व गैर सरकारी संगठनों के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या में बृद्धि हुई है।
- यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि अधिकांश कॉल्स, बच्चों के ढाबे/होटलों में काम करने के बारे में होते हैं।

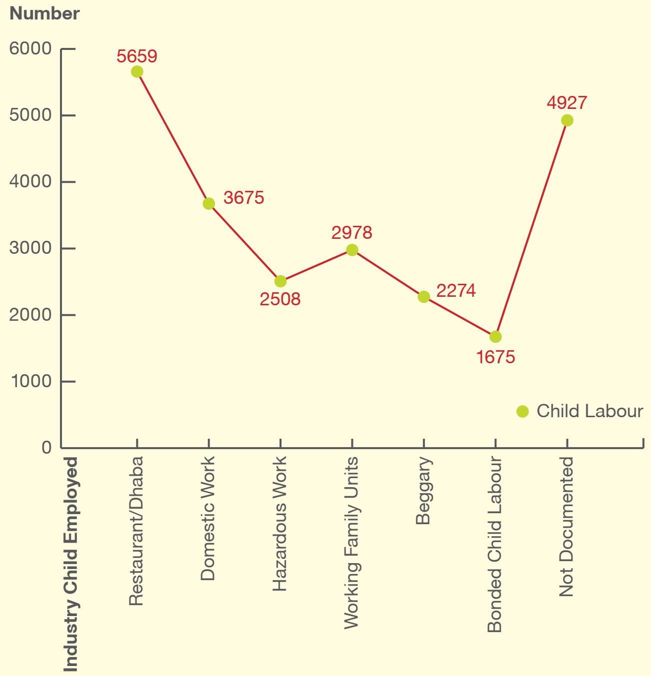

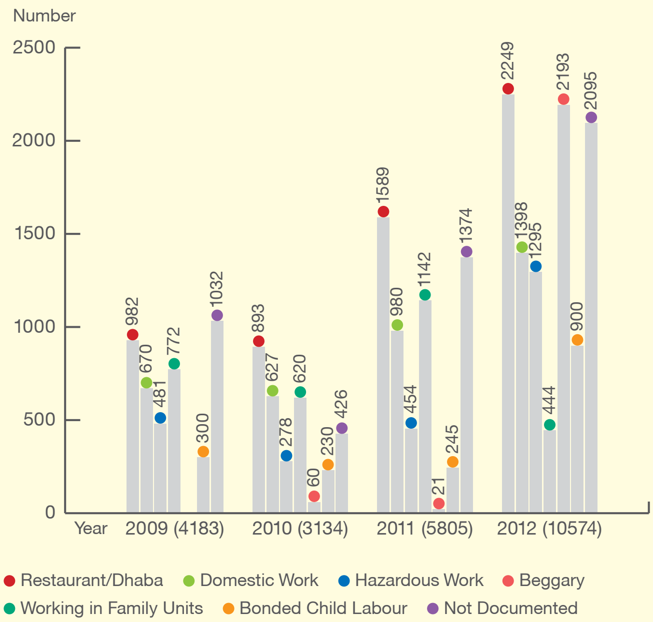

बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) संशोधन बिल २०१२
माननीय लोकसभा स्पीकर नें बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) संशोधन बिल २०१२
को राज्य सभा में, श्रम पर गठित स्टैंडिग कमेटी के पास परीक्षण व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है।

बालश्रम कानून के मुद्दे :

सीआईएफ, भारत में बाल श्रम संबंधी मुद्दे पर आंतरिक व अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर विचार विमर्श करती रहती है। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं:

१. आयु

बाल श्रम (निरोधक व नियंत्रक) अधिनियम को वर्तमान में मौजूदा निम्नलिखित कानून पर अधिभावी प्रभाव होना चाहिए। ताकि अन्य संबंधित कानूनों में आयु संबंधी मुद्दो को बेहतर ढंग से लागू कराया जा सके।

- फैक्टरी अधिनियम, १९४८
- बाल (बंधक श्रमिक) अधिनियम १९३३
- वृक्षारोपण श्रम अधिनियम १९५१
- खान (संशोधन) अधिनियम १९८३
- मर्चेंट शिपिंग अधिनियम १९५८
- मोटर परिवहन कामगार अधिनियम १९६१
- बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्त) अधिनियम १९६६
- खतरनाक मशीन (नियंत्रक) अधिनियम १९८३
- बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम १९७६
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम १९४८

अधिकतम जानकारी के लिए वेबसाइट देखें:
http://www.childlineindia.org.in/child-in-india.htm

आयु निर्धारण संबंधी प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, एसओपी को लागू किया जाना चाहिए (जेजेए में दी गई प्रक्रिया के अनुसार) टीकाकरण के कार्ड पर प्रतिरक्षण तिथि उद्धत होनी चाहिए। जिन्हें एनआरएचएम के तहत आने वाले साक्ष्य के दस्तावेजों की सूची में रखा जाना जरूरी है।

जेजेए में सूचीबद्ध के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट की अपेक्षा स्कूल के प्रमाणपत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। मेडिकल रिपोर्ट तब ही मंगाई जानी चाहिए जब स्कूल या पंचायत से प्राप्त प्रमाण न उपलब्ध हों।

विशेषज्ञ (सहायक सर्जन से कम नहीं) द्वारा किए गए दांत व कलाई की हड्डी की रेडियोग्राफी के परिणाम और शारीरिक संरचना व व्यवहार के आंकलन से भी आयु का पता लगाया जा सकता है।

यूरोप कार्यक्रम २००९ से पृथक बच्चे पर गुड प्रेक्टिस के कथन, बच्चों की आयु के आंकलन पर विस्तार पूर्वक समर्थन करते हैं। कहते हैं कि बच्चों की आयु का आुकलन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी प्रक्रिया बहु अनुशासनिक, और स्वतंत्र विशेषज्ञों से करना चाहिए जो बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित हो। उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण संबंधी और सांस्कृतिक विकास में संतुलन होना चाहिए। आयु परीक्षण, बलपूर्वक नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम कठिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए और व्यक्ति के स्वमान का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। अभिवावकों को प्रक्रिया को अपने सामने ही संपन्न करना चाहिए। प्रक्रिया के विरुद्ध अपील करने का भी प्रावधान होना चाहिए।

१. १५ से १८ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अश्रम कार्य के लिए निरंतर वैधता

यूएनसीआरसी के अनुच्छेद ३२ में सश्रम शब्द का निर्धारण किया जाना चाहिए। अनुच्छेद ३२, जो कहता है कि आर्थिक शोषण से बचना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और किसी भी प्रकार का श्रम करना मेहनत या सश्रम की श्रेणी में माना जाएगा और बाल शिक्षा में दखल दिया जाना बच्चे के स्वास्थ्य व विकास में बाधक हो सकता है। इस प्रकार इसके जो तीन पक्ष सामने आते हैं, वे हैं:

- बच्चे की शिक्षा में दखल
- बच्चे के (शारीरिक व मानसिक) स्वास्थ्य के लिए घातक
- बच्चे के विकास के लिए घातक

यहां तक कि अश्रम श्रेणी की भी कोई गतिविधि सें, उपरोक्त तीन में से यदि किसी का भी उल्लंघन होता है तो वह सश्रम की श्रेणी में ही परिवर्तित माना जाएगा। इसप्रकार १५ से १८ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सश्रम शब्द का निर्धारण उपरोक्त तीनों पक्षों के आधार पर किया जाना चाहिए। १४ वर्ष तक के बच्चों के लिए बना बाल श्रम बिल १९८६ के दौरान, चूंकि बाल न्याय कानून ऐसे बच्चों को १८ वर्ष से कम का मानता है इसलिए १५ से १८ वर्ष की आयु के वे बच्चे जिन्हें काम करने की अनुमति प्रदान की गई है उनके लिए भी इस बिल के तहत कार्य की प्रकृति (अश्रम), कार्य के घण्टे, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा व शिक्षा के प्रबंध, आदि को शामिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, यंत्र रचना और संचालन के दायित्व भी बिल में उल्लेखित होना चाहिए। उल्लंघन होने पर दिए जाने वाले दण्ड भी उल्लेखित होना चाहिए।

अश्रम कार्य को पुनः संशोधित किए जाने और विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है। जैसे: परंपरागत घरेलू कार्य, घरों के शौचालयों की सफाई, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, कैंटीन/संस्थानों/विभागों में काम करना आदि को भी विस्तृत किया जाना चाहिए। इन घरेलू कार्यों को भी सश्रम कार्य की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

किशोरों/बच्चों का शराब की दुकान पर काम, मदक्कई भट्टी में काम, खेती विशेषकर हाइब्रिड पराग संबंधी, आदि को भी सश्रम कार्य की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। संस्थानों, स्कूलों/ बाल आश्रमों, सरकारी एजेंसीज़/भवन जैसेः पुलिस मुख्यालय के कैंटीन व अन्य सरकारी विभागों में १४ वर्ष से कम आयु के बच्चों का काम करना (शौचालय साफ करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना) प्रतिबंधित होना चाहिए।

ऐसा काम जो कि किशोरों के विकास में और उनके भविष्य के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाते है उन्हें करने की अनुमति प्रशिक्षु के तौर पर दी जानी चाहिए। कामकाजी बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए सुलभ चिकित्सा और शिक्षा दी जाने की वकालत की जानी चाहिए। काम के दौरान बाल उत्पीड़न की रिपोर्ट करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सश्रम कामों की सूची की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। उदाहरण के लिएः इस सूची में कीटनाशक के उपयोग को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि खेतों में कीटनाशक का छिड़काव (जैसेः केरल में इंडोसल्फान) को शामिल नहीं किया गया है।

३. घरेलू काम का बहिष्करण :

बच्चे से घरेलू काम कराने पर उसमें अच्छी आदतों का विकास होता है, जो कि बच्चे की शिक्षा व विकास में बाधक नहीं होता है। जैसे कि शिक्षा के अधिकार में बताया गया है कि ६ से १४ वर्ष के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। और १० वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर नही होना चाहिए। १० वर्ष से अधिक आयु के बच्चों से ही घरेलू काम कराने की अनुमति दी जाती चाहिए। १५ वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को ही पारिवारिक पर अश्रम कार्यो में लगाना चाहिए पर २ घंटे से अधिक नहीं। किशोरों के लिए घरेलू सश्रम कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। घरलू कार्यों की निगरानी के लिए पंचायतो के स्तर के संस्थानों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। और उल्लंघन किए जाने पर उसे अक्षम्य और गैर जमानती कृत्य समझा जाना चाहिए।

मजदूर शब्द को व्यवसाय की तरह परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। एक संस्थान जो कि सेवा से राजस्व व उत्पाद पैदा करता है, यह कार्य एक वयस्क द्वारा मजदूरी के बदले में किया जाता है। ऐसी परिभाषाओं से ही संगठनों के विकास में घरेलू कामों व स्वेच्छा से किए जाने वाले कामों में भेद खत्म होगा।

४. मनोरंजन के क्षेत्र में बच्चे:

१४ वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रो–स्पोर्ट व मनोरंजन/मीडिया के क्षेत्र में सशर्त अनुमति दी जानी चाहिए।
काम करने की अवधि, परिस्थितियाँ सुरक्षा, भुगतान की शर्तें आदि सुनिश्चित होनी चाहिए। इन सब की निगरानी के लिए सेंसर बोर्ड की ही तरह नियंत्रक प्राधिकरण होना चाहिए।
बच्चों की प्रतिभा की रक्षा करना अभिभावकों का कर्तव्य है। विगत समय में भी कई विलक्षण बच्चों ने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। मनोरंजन के क्षेत्र में एक बच्चा – जो कि एक बाल अभिनेता या अभिनेत्री, गायक, संगीतकार, नर्तक है उसके नियंत्रण के लिए:

- नाबालिग होने के नाते किसी पेशेवर काम को स्वीकार करने के पूर्व उसे मनोरंजन वर्क परमिट अवश्य लेना चाहिए।
- अनिवार्य शिक्षा कानून का आदेश होना चाहिए कि जब बच्चा काम कर रहा हों तो इस दौरान उसकी शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। चाहे बच्चा पब्लिक स्कूल, निजी स्कूल या गृह विद्यालय में ही क्यों न अध्ययनरत हो।
- बच्चा काम के दौरान, सैट पर अपना स्कूल कार्य एक शिक्षक की देख–रेख में करता है।
- काम के घंटे नियंत्रित होने चाहिए और एक दिन में ६ घंटे (प्रात ६ बजे से सायं ६ बजे के मध्य कभी भी) से अधिक नहीं होने चाहिए। और काम के मध्य में एक घंटे का ब्रेक भी दिया जाना चाहिए। सैट पर, बच्चे को एक बार में चार घंटे से अधिक काम करने की अनुमति वो भी बिना ब्रेक के, नहीं मिलनी चाहिए। और काम के कुल घंटे १० से अधिक नहीं होने चाहिए।
- फिल्मों में काम करने वाले बच्चों को सीडब्ल्यूसी से विशेष अनुमति लेनी चाहिए।
- बच्चों के द्वारा अर्जित की गई राशि को उसके १८ वर्ष के होने तक एक ट्रस्ट बनाकर संरक्षित किया जाना चाहिए।
- बच्चों से उनकी आयु के अनुरूप ही काम कराया जाना चाहिए। ताकि वे समय से पूर्व ही बड़े न हो जाएं और उनके बड़े होने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े।
- अभिनय/ कार्य जिसकी प्रकृति सश्रम हो (जैसे कलाबाजी, फायर डांस,) और जिससे शारीरिक व मानसिक सदमा होने का खतरा हो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।
- बाल अभिनेताओं को विश्वसनीय वयस्कों के साथ ही रहना चाहिए जो कि बच्चे को उत्पीड़न व नशीले पदार्थ आदि से बचा सके। मनोरंजन क्षेत्र में बाल संरक्षण नीति को लागू किया जाना चाहिए।

- समूची प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए राज्य बाल अधिकार आयोग या कोई अन्य स्थानीय सक्षम संस्थान होना चाहिए। आयोग को इसके अनुपालन कराने का परोक्ष ज्ञान होना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला डब्ल्यू.पी.(सी)७८७/२०१२ और एनसीपीसीआर के दिशा निर्देशों के आधार पर भावी दिशा निर्देश विकसित किए जाने चाहिए।
- मनोरंजन के क्षेत्र में बच्चों के लिए बाल संरक्षण नीति की शुरूवात होनी चाहिए।

५. अन्य क्षेत्र

- खाद्य व औषधि मंत्रालय की ही तरह इस क्षेत्र में भी लेबल लगाना संभावित है। बाल श्रम बिल के तहत प्रतिबंधित उद्योगों व प्रक्रिया की ही तरह यहां भी कोई बाल श्रम नही का लेबल ओर उद्घोषणा होनी चाहिए। सीआईएफ को मंत्रालय के साथ मिलकर लेबल का डिज़ाइन तैयार की जा सकती है। या राष्ट्र व्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से इसकी डिज़ाइन तैयार की जा सकती है। इससे झूठे दावों के लिए भी अभियोजन में मदद मिलेगी।
- वर्तमान में सेंसर बोर्ड को जरूरत है कि जिन फिल्मों में जानवरों को दिखाया जा रहा हो उन्हें एनिमल वेलफेयर बोर्ड को लिखित में देना होगा कि शूटिंग के दौरान जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसीप्रकार बाल श्रम से बच्चों के बचाव के लिए भी दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए।
- स्थानीय प्राधिकरण, शिक्षा के अधिकार के लिए ६ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों को आवश्यक रूप सें जनगणना करवाती है। यह बिल से जिले के श्रम विभाग को ६ से १४ वर्ष के काम करने वाले बच्चों, स्कूल में नामदर्ज किये गए बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों की जिले वार रिपोर्ट उपलब्ध कराने के अध्यादेश जारी किये जाने चाहिए।
- ऐसे बच्चे जिन्हें बचाव अभियान के तहत बचाया गया या जो शिक्षित नहीं है या जिनकी शिक्षा न के बराबर है या जो कभी बचाने के बाद कभी वापस स्कूल नहीं भेजे गए। उन्हें बाल श्रम के पुनर्वास का अवयव को भारत भर में चल रहे आईटीआई संस्थानों के जीवनोपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम सह प्रमाणक में शामिल करने की आवश्यकता है।

६. बाल श्रम कानून के उल्लंघन पर दण्डात्मक कार्रवाई (नियोजक व नियंत्रक) अधिनियम

- किसी भी बालश्रम के लिए प्रधान नियोक्ता जिम्मेदार होना चाहिए।
- कानून के उल्लंघन करने पर कम से कम ५०,००० रू. दण्ड का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- बार बार कानून का उल्लंघन करने वाले को अधिक जुर्माना और सजा दी जानी चाहिए और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए।
- बच्चों का व्यवसायिक उपयोग जैसेः भीख मंगवाना, भीख मंगवाने के लिए बच्चों को किराए पर देना, बच्चों को यौन क्रिया के लिए बेचना आदि कार्य कराए जाने पर उनके मात–पिता को भी दण्डित किया जाना चाहिए।
- एजेंटों/दलालों को भी दण्डित किया जाना चाहिए, चाहे बच्चे को उसके माता–पिता की मर्जी से ही क्यों न भेजा गया हो।

जिला न्यायधीश ऐसे अधिकारियों (जो सहायक श्रम आयुक्त कम स्तर के न हों) को बाल श्रम निषेध अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो नोडल अधिकारी की तरह कार्य करेगें और जो छापामार, बचाव, पुनर्वास साथ ही साथ बाल कल्याण कोष का निर्माण और रख रखाव, क्षतिपूर्ति के लिए बच्चों की उन तक पहुंच बनाने, कानून के तहत काम कराने आदि का काम देखेंगे। विभिन्न विभागों/अधिकारियों की भूमिका, बाल श्रम पर दिल्ली की कार्य योजना के अनुसार होगी।

बचाव व बचाव अभियान के लिए जिला स्तरीय बल, चाइल्डलाइन की सदस्यता के साथ में बनाया जाना आवश्यक हो। राज्य व जिले के स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाना चाहिए। इसीप्रकार बंधुआ मजदूरी पर सतर्कता समिति का गठन हो जो कानून को लागू करना, रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों का पुनर्वास कराना, और उनके परिजनों को संबंधित योजनाओं को बताना, बच्चों के पुनर्वास के लिए फण्ड निकालना आदि कार्य देखे।

कानून के तहत अभियोजन को नियंत्रित करने के लिए श्रम विभाग को मौजूदा कानून दिया गया है। पूरे बचाव व अभियोजन को बाल न्याय अधिनियम में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। इससे सीडब्ल्युसी को बचाव अभियन, अभियोजन, व कानून के तहत सजा दिलाने में बल मिलेगा। नियोक्ताओं के जुर्मनें से प्राप्त राशि का लाभ सीधे–२ बच्चों को मिलना चाहिए। जुर्मने की राशि बढ़ाना इसका हल नहीं है। इससे नियोक्ता, भ्रष्ट कार्य करने के लिए और आकर्षित होंगे। श्रम विभाग को बचाव व अभियोजन का कोई भी आदेश नहीं होना चाहिए। बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चों को एसे संबोधित करना चाहिए जैसे कि इन बच्चों को देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता है। (सीएनसीपी)

बाल श्रम के विरूद्ध विश्व दिवस २०१३

बाल श्रम के विरूद्ध विश्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष १२ जून, समस्त प्रकार के बाल श्रम के विरूद्ध बच्चों के सशक्तीकरण को समर्पित है।

चाइल्डलाइन, भारत की एकमात्र हेल्पलाउन सेवा है जो प्रत्येक वर्ष, देश भर में हजारों बच्चों के लिए बचाव कार्यक्रम व पुनर्वास कार्यक्रम का संचालन करती है। वह बाल श्रम के विरूद्ध विश्व दिवस मनाने आज के दिन सामने आती है। इसके उद्येश्य वही रहते हैं, जैसेः बाल श्रम के विरूद्ध लोगों में जागरूकता फैलाना और बच्चों पर बाल श्रम के दुष्परिणाम के विरूद्ध लोगों को खड़ा करना आदि। इस विषय पर उत्सुकता जागृत करने **चाइल्डलाइन** ने राष्ट्रीये स्तर पर अभियान चलाया जिसनें लोगों को हमारी टीम के साथ सहयोग करने और रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों को, ढाबों के मालिकों, रिहाइशी इलाकों में हमारे पोस्टरों को बांटने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

बाल श्रम के विरूद्ध विश्व दिवस की सार्थकता बच्चों से जुड़े मामलों को मीडिया और सामाजिक सोसाइटी के माध्यम से प्रकाश में लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे सरकार को देश में कार्यरत बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या ज्ञात होती है। बाल श्रम, हमारे समाज के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। और हम इसको रोज प्रत्यक्ष देखते हैं। १२ जून की तारीख हमें बाल श्रम के विरूद्ध आवाज बुलंद करने की याद दिलाती है । पर सवाल यह उठता है कि क्या हम और आगे जाने के लिए तैयार हैं ?

अहमदाबाद

बाल श्रम के विरोध में रेली का आयोजन

बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर बालश्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए श्रम विभाग द्वारा आयोजित रैली में **चाइल्डलाइन अहमदाबाद** की टीम ने भी भाग लिया। रेली में **चाइल्डलाइन** ने डीसीपीयू के सदस्यों के साथ मिलकर जोश के साथ मार्च किया गया। चाइल्डलाइन की ओर से डायल १०९८ लिखी हुई तख्तियों और बैनरों का प्रदर्शन किया गया, यदि आपको कोई बच्चा उदास दिखाई दे तो आप इस मैरॉथन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बताएँ।

हस्ताक्षर अभियान

चाइल्डलाइन अहमदाबाद नें बालश्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। सैकड़ों बच्चों और चिंतित व्यक्तियों ने आगे आकर अभियान को समर्थन दिया।

आणंद

विशेष जागरूकता अभियान

इस अभियान का उद्येश्य है कि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी बच्चा काम न करे। **चाइल्डलाइन आणंद,** ने बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान प्रस्तुत किया। **चाइल्डलाइन** ने पूरे शहर में बस स्टैंड, होटलों, दुकानों, और सार्वजनिक क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। **चाइल्डलाइन** की टीम, बचों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बालश्रम बंद हो इसके पर्चे बांटे। और बालश्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाई।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

धन्यवाद एचपीसीएल !

बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर, हम एचपीसीएल को मुम्बई, कोलकाता, और दिल्ली में गाड़ियाँ उपलब्ध कराने और कई बच्चों को बचाने में सहायता करने व देश भर में कई कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

बालश्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में एचपीसीएल के द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों का अत्यधिक योगदान रहा।

मुम्बई

बालश्रम के विरुद्ध विशाल अभियान

बालश्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और बालश्रम के उन्मूलन के लिए **चाइल्डलाइन मुम्बई** ने पूरे शहर भर में विशाल रैली का आयोजन किया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन में उद्घाटन के बाद, टीम ७ स्टेशनों जैसेः मुम्बई, बोरीवली, बाँद्रा, दादर, सीएसटी, भायखला, कुर्ला और थाणे आदी स्थानों में फैल गयी।

सीएसटी में उद्घाटन समारोह के दौरान, **चाइल्डलाइन** के साथ में, बच्चों के लिए कार्यरत अन्य गैर सरकारी संगठनों जैसे: सलाम बालक, युवा, सीसीडीटी, प्रथम, अपने आप, वल्ड विज़न, व हमारा फाउण्डेशन आदि ने भी भाग लिया। सभी गैर सरकारी संगठनों ने साथ मिलकर बालश्रम के दुष्परिणामों के बारे में बात की और कहा कि उन्हें उनके उन्मूलन की क्यों आवश्यकता है।

इस अवसर पर जिन्होंने उद्घाटन समारोह में अपने उद्गार व्यक्त किए वे हैं: सलाम बालक के ट्रस्टी सुश्री ज़रीन गुप्ता, महिला एवं बाल विकास के ज़िला अधिकारी श्री गिरासे, रेल्वे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आदि। भारी वर्षा और स्टेशन की भीड़ के बावजूद सीएसटी का यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

हमारे अभियान का मुख्य आर्कषण एचपीसीएल द्वारा प्रायोजित की गई, **चाइल्डलाइन** की वैन थी। वैन हमारी टीम को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिए ले गई। जिसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना था। विशेषकर बालश्रम के विरुद्ध, मुम्बई में अभियान चलाने के लिए चलित वाहन से बेहतर और क्या हो सकता है।

जनसंपर्क कार्यक्रम को रेल्वे स्टेशन पर करने का उद्देश्य रेल्वे पुलिस की सहायता से अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुँचाना था। जिन्होंने **चाइल्डलाइन** को स्टॉल और दुकाने उपलब्ध कराईं। प्रत्येक स्टेशन पर **चाइल्डलाइन** के अधिकारियों ने राहगीरों से बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के बारे में बात की। रेल्वे स्टेशनों का चयन सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जिनमें बालश्रमिकों की संख्या सवार्धिक थी। कुल मिलाकर कार्यक्रम दिन भर चला और जागरूकता फैलाने में सफल रहा। **चाइल्डलाइन** ने सभी मुम्बईकरों को संदेश देने का प्रयास किया।

बीड़

जागरूकता रैली

चाइल्डलाइन बीड़ नें बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली का आयोजन किया। इसमें कई बच्चों ने सक्रियतापूर्वक भाग लिया।

भिण्ड

सफाई कर्मचारियों के साथ जागरूकता कार्यक्रम

चाइल्डलाइन भिण्ड नें नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन मे जिला न्यायधीश श्री आदित रावत, तहसीलदार श्री श्रीवास्तव, श्रम निरीक्षक श्री ए. के. निगम, नगर पालिका सीएमओ श्री आर. के. चारी आदि मौजूद थे।

भोपाल

चाइल्डलाइन ने बालश्रम को काबू में करने का आश्वासन दिया

बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर **चाइल्डलाइन भोपाल** के द्वारा बालश्रम के विरुद्ध नुक्कड़ नाटक, पोस्टर अभियान का आयोजन किया गया। समान समूहों के बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

सहायक श्रम आयुक्त श्री एस. एस. दीक्षित ने बालश्रम के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए ब्रोशर रिलीज़ किये। भीड़ को संबोधित करते हुए श्री दीक्षित ने

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

चाइल्डलाइन को आश्वासन दिया कि बाल श्रमिकों को छुड़ाने के दौरान हमारा विभाग **चाइल्डलाइन** को और अधिक सहयोग प्रदान करेगा। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किये गये नुक्कड़ नाटक में १४ वर्ष के कम आयु के बच्चों को उद्योगों व घरेलू काम पर न रखे जाने की बात को उद्धत किया । क्योंकि इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है।

बाल श्रम विरोध दिवस पर कार्यक्रम

बुलढाना

बच्चों की रैली का आयोजन

बालश्रम के विरूद्ध विश्व दिवस के अवसर पर **चाइल्डलाइन बुलढाना** नें बालश्रम के विरोध में रैली का आयोजन किया। इसके बाद **चाइल्डलाइन** ने जिला श्रम विभाग और बाल संरक्षण इकाई के साथ इस अवसर पर ,बालश्रम को रोकने के लिए संभावित मार्गों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान डीसीपीओ, बुलढाना नें कई न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, श्रम अधिकारियों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

खेड़ा

बालश्रम के विरूद्ध महा रैली का आयोजन

चाइल्डलाइन ने डीसीपीयू के साथ मिलकर बालश्रम के विरोध में महा जागरूकता रैली का आयोजन किया। विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चे, व डीपीसीयू के सदस्य, **चाइल्डलाइन** के सदस्य और शिक्षकों ने बालश्रम के खिलाफ इस रैली में भाग लिया।

जामनगर

बालश्रम के विरूद्ध शपथ ग्रहण

चाइल्डलाइन जामनगर ने ब्रास पार्ट फैक्टरी आनर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और बालश्रम के विरूद्ध कार्यवाई करना था। प्रबंधन के सदस्यों के साथ–साथ सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। **चाइल्डलाइन** ने फैक्टरी के सदस्यों को बाल श्रमिकों को काम पर न रखने व इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की शपथ दिलाई।

झाबुआ

बालश्रम पर पोस्टर अभियान

बालश्रम के विरूद्ध विश्व दिवस के अवसर पर **चाइल्डलाइन झाबुआ** नें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। नागरिकों को बालश्रम के खिलाफ संवेदनशील बनाने के लिए दिन भर कई कार्यक्रमों जैसे: शपथ ग्रहण, रैली आदि का आयोजन किया गया। टीम ने लोगों को जागरूक करने के और बाल श्रम के विरूद्ध उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के उद्येश्य से शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर अभियान का संचालन किया।

कच्छ

बालश्रम के विरूद्ध अभियान को प्रचंड बनाने के लिए आह्वान

चाइल्डलाइन कच्छ नें बालश्रम के विरूद्ध विश्व दिवस मनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। **चाइल्डलाइन** की टीम ने जिले में बालश्रम उन्मूलन के उद्देश्य से बाल शिक्षा के महत्व को प्रचारित करने के लिए पुलिस

स्टेशन, अस्पताल, दुकानों आदि का भ्रमण किया। अभियान को , लोगों की मानसिकता बदलने के उद्देश्य से चलाया गया। लोगो के विभिन्न वर्गों, जनप्रतिनिधियों, और अधिकारियों ने बालश्रम के उन्मूलन के लिए वायदा किया।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

लातूर

बालश्रम को न कहें

चाइल्डलाइन लातूर नें कोल नगर में बालश्रम के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला श्रम अधिकारी श्री पवन कुमार चवन ने बच्चों को संबोधित किया। बालश्रम के विरूद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से **चाइल्डलाइन** ने नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया।

नागपुर

बच्चों को काम पर रखना बंद करो

बालश्रम के विरूद्ध विश्व दिवस मनाने के लिए नागपुर की टीम के सदस्यों ने हस्ताक्षर अभियान, बालश्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया। कार्यक्रम में आम लोगों से बच्चोको काम पर न रखने की अपील की गई। टीम ने बालश्रम विषय पर जन साधारण, विद्यार्थियों से बात की।

सागर

बालश्रम के विरोध में बच्चों व नागरिकों द्वारा पदयात्रा

१२ जून को **चाइल्डलाइन सागर** ने बालश्रम के विरोध में कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन किया। चिंतातुर नागरिकों के साथ-साथ २०० स्कूली बच्चों ने बालश्रम नही के बैनरों व तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। **चाइल्डलाइन** की टीम के साथ-साथ उत्साहित बच्चों ने बालश्रम के विरोध में नारे लगाए।

राजकोट

बालश्रम के विरुद्ध रैली

राजकोट में बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाने के उद्येश्य से रैली के आयोजन में बच्चों ने भाग लिया। काठियावाड़ निराश्रित बालाश्रम के बालकों व बालिकाओं के

विशेष आवासों के १०० बच्चे व श्रम विभाग के अधिकारी और डीसीपीयू, राजकोट और **चाइल्डलाइन राजकोट** ने रैली में मार्च किया। रैली का उद्येश्य राजकोट में बालश्रम के विरूद्ध जागरूकता फैलाना था। रैली में बच्चों ने तख्तियों और बैनरों के माध्यम से बाल अधिकारों को संरक्षित करने और स्कूलों में शरीरिक सजा के विरोध में नारे लगाए।

- अकेले **चाइल्डलाइन** नें २०१२ में बालश्रम के १०,५७४ मामलों में दखल दी।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

साँगली

बाल श्रम के विरोध में रैली

बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाने के लिए सांगली में बच्चों की रैली का आयोजन किया गया। बाल अधिकार के संरक्षण, सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा, शिक्षा के अधिकार आदि की मांग करते हुए सैकड़ों बच्चों ने प्रदर्शन किया।

जागरूकता रैली के दौरान, कई बच्चों ने **चाइल्ड लाइन** के साथ हाथों में बालश्रम को संरक्षण देने के खिलाफ मांग व बच्चों के मूल अधिकारों के संरक्षण की मांग तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन किया। **चाइल्डलाइन सांगली** ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए जागरूकता रैली का आयोजित किया ।

चाईल्डलाईन सांगली व विशेष प्रशिक्षण केंद्र यांच्यातर्फे
जागतिक बालकामगार विरोधी दिन साजरा

■ बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाए गए अधिवेशन पर भारत ने हस्ताक्षर किए। सभी बच्चों को जीने के अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और उसके भविष्य के लिए लिए गए फैसलों में उसकी भागीदारी के अधिकार प्राप्त हों। इसप्रकार सब बच्चों को इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए वयस्क और शासन ही जिम्मेदार हैं।

CHILDLINE in the news

चाईल्डलाईन सांगली व विशेष प्रशिक्षण केंद्र यांच्यातर्फे
जागतिक बालकामगार विरोधी दिन साजरा

कोलकाता

रैली, जनसंपर्क व जागरूकता कार्यक्रम

कोलकाता में बालश्रम के विरुद्ध विश्व दिवस बड़े जोश व उल्लास के साथ मनाया गया।सभी बच्चों के लिए शिक्षा इसका मुख्य बिंदू रहा। और इसे सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि बच्चे स्कूलों में रहें काम पर नहीं। बहरहाल बाल श्रम को ना कहें यही जनादेश रहा। टीम ने बाल श्रम कानून का प्रचार करने, व लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए।

कोलकाता के सियालदाह में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए **चाइल्डलाइन** के उद्येश्यों को प्रदर्शित करने के लिए समूचे क्षेत्र में बैनर लगाए गए। व्यस्त सड़कों पर बच्चों ने विभिन्न संदेशों जैसे: बालश्रम को बंद करो, बालश्रम अपराध है आदि लिखित तख्तियों का प्रदर्शन किए। कार्यक्रम के उद्घाटन पर पूरे सियालदाह में जागरूकता फैलाने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों की परेड निकाली गई।

बालश्रम के विरोध में नुक्कड़ नाटक

बालश्रम पर जागरूकता फैलाने के उद्येश्य से **चाइल्डलाइन कोलकाता** नें एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। सियालदाह के लोगों ने बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन देखा, जिन्होने बालश्रम जैसी बुराई को नाटक के माध्यम से लोगों को परिचित कराया।

नाटक में ऐसे बच्चे जो काम करने के लिए जाते हैं और वे बच्चे जो सामान्य तरह से बचपन का आनंद लेते हैं, उनके भाग्य का चित्रण किया है।

बच्चों ने **चाइल्डलाइन** और बालश्रम विरोधी पर्चों और पोस्टरों को बांटने के कार्य में उत्सुकतापूर्वक भाग लिया।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

काली घाट मंदिर की ओर

चाइल्डलाइन टीम का अभियान काली घाट मंदिर के क्षेत्र की ओर भी गया। टीम ने मंदिर के पुजारियों और दुकानदारों से भी **चाइल्डलाइन** के बारे में, बाल मजदूर और लड़कियों की शादी जल्द करने के बारे में मदद करने के लिए बातचीत की। यह अभियान स्थानीय समुदाय की ओर गया जहाँ उनके द्वारा सौर से भी ज्यादा वयस्कों और ५० बच्चों को बाल श्रम के मुद्दे पर संबोधित किया गया। टीम ने रणनीतिक बाजार की जगहों, जैसे किंडरपोर बाजार, फैन्सी बाजार, पंच सितारा बाजार आदि की ओर ध्यान केन्द्रित किया, जहाँ पर कुल देवता भी थे।

बाल मजदूरी के विरोध में जागरूकता अभियान

कोलकता के बाबूघाट में छोटे–मोटे काम जैसे कि सायकल ठीक करनेवाली दुकानें, चाय की दुकानें, सिगरेट बेचने वाली दुकानें आदि में बाल श्रमिक व्यस्त रहते हैं। इस स्थान को बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान की जरूरत है। बाबूघाट एक अनुष्ठान स्थल भी है, जो कि इस स्थान को भीख मांगने, बच्चों का शोषण करने और अन्य छोटे–मोटे अपराधों के लिए संवेदनशील बनाता है। क्योंकि यह जगह अंतर–राजकीय बस सेवा का टर्मिनस है, इस वचह से यह जगह अंतर–राज्यकीय तस्करी के लिए भी संवेदनशील बन जाती है।

धनबाद

बाल मजदूरी के खिलाफ संवेदनशील जनता के आग्रह पर धनबाद **चाइल्डलाइन** ने बाल मजदूरी की बुराइयों पर लोगों को शिक्षित करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक बाल मजदूरी के स्वयं सेवकों के साथ मिलकर चाइल्डलाइन की टीम द्वारा अभिनित किया गया। इसने दर्शकों को मोह लिया और उन दर्शकों में अधिकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधी भी शामिल थे। नाटक से प्रेरित दर्शकों ने एक साथ आगे बढ़कर राज्य से बाल श्रम को जड़ से

उखाड़ फेंकने की कमम खाई। अभिभावकों के अनपढ़ होने की वजह से बच्चे किस प्रकार बाल श्रम में गिर जाते हैं और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराना कितना जरूरी है और स्कूल के माहौल को बेहतर करने में शिक्षकों की भूमिका के इर्द–गिर्द यह नुक्कड़ नाटक घूमता रहा।

नाटक से समापन के बाद संबोधित करते हुए, **चाइल्डलाइन** टीम ने दर्शकों से बाल मजदूरी नष्ट करने और बच्चों को शिक्षित करने का अव्हान किया। इसके बाद **चाइल्डलाइन धनबाद** ने दैनिक जागरण और एनसीसी कैडटों के सहयोग से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। विज्ञापन और हस्ताक्षर अभियान के द्वारा टीम, सरकारी कर्मचारियों और दुकानदारों को बाल मजदूरी की बुराइयों के बारे में शिक्षित करने लगे।

डिबरूगढ़

बच्चों के लिए खास कार्यक्रम

चाइल्डलाइन डिबरूगढ़ ने बाल श्रम विश्व दिवस मनाने के लिए, जिला प्रशिक्षण हॉल, डिबरूगढ़ में बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप–आयुक्त श्रीमति अरूणा राजोरिया जी के द्वारा की गई और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, सर्व–शिक्षा अभियान प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों ने इसमे भाग लिया। चिल्ड्रेन होम के निवासियों द्वारा भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सिलचर

सरकारी अधिकारियों के लिए उन्मुखीकरण शिविर

चाइल्डलाइन सिलचर ने श्रम विभाग और जिला प्रशासन, कछार के साथ मिलकर सरकारी विभाग के अधिकारियों में बाल मजदूरी के मुद्दे को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए जिला परिषद सम्मेलन हॉल, सिलचर मे६ एक उन्मुखीकरण शिविर का आयोजन किया।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

जलपईगुड़ी

विशेष जागरूकता अभियान

बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए **चाइल्डलाइन जलपईगुड़ी** ने विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया। चाइल्डलाइन की टीम ने शहरभर के बस स्थानकों, होटलों, ढ़ाबों पर एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। बाल मजदूरी की बुराइयों के प्रति जगरूकता पैदा करने के लिए, टीम ने बच्चों के साथ झंडे, तख्तियाँ और विज्ञापन पत्रों को लेकर रैली निकाली, जिन पर बाल मजदूरी को रोकने का संदेश छपा हुआ था।

डिमापुर

बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता अभियान

कोहिमा के, कोहिमा कॉलेज में बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में **चाइल्डलाइन के डीमापुर** के संचालक श्री सुबोनेन्बा लौंगकुमेर ने बाल मजदूरी के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। श्रम और रोजगार, न्याय और कानून और भू–राजस्व विभाग के माननीय संसदीय सचिव डॉ. निकी किरे।

■ भारत के हर दस श्रमिकों में से एक बाल श्रमिक है । यदि आप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को भारत के कर्मचारियों के बीच बाँटें तो इसका १०% हिस्सा भारत के बाल मजदूरों को जाएगा।

नौगाँव

चाइल्डलाइन नौगाँव, बाल मजदूरी समाप्त करने की खोज में

बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के मौके पर **चाइल्डलाइन नौगाँव** ने श्रमिक विभाग के अधिकारियों, जिला प्रशासन, उप आयुक्त, सरकारी विभाग के अन्य प्रतिनिधियों और लखीम पुर उत्तरी सिविल अस्पताल के अधीक्षक जे.जे.बी और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों, विभिन्न गैरसरकारी संगठनों के साथ बाल मजदूरी रोकने के उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया।

■ शिक्षा अधिनियम के अधिकार के तहत ६ से १४ साल के सभी बच्चे मुफ्त शिक्षा पाने के लिए अनिवार्य रूप से हकदार हैं। लेकिन बाल मजदूरी (निषेध और विनिमय अधिनियम १९८६ में, सभी उम्र के बच्चों को काम करने की अनुमति तब तक देता है, जब तक कि वह काम किसी खास खतरनाक उद्योग/प्रक्रिया से जुड़ा न हो। इस प्रकार से बच्चों का शिक्षा पाने करने के अधिकार बाल मजदूरी (निषेध और विनियमन अधिनियम १९८६) के द्वारा विवाद में पड़ जाता है।

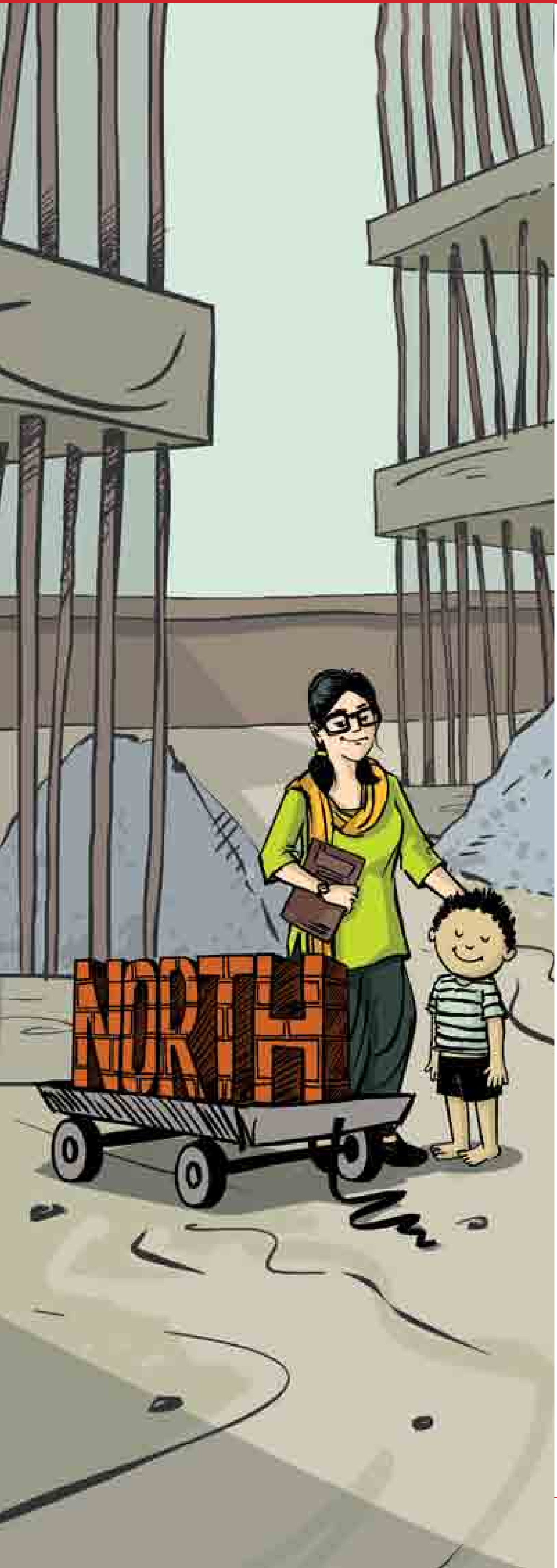

फिरोजाबाद

बाल श्रम विरोधी रैली

चाइल्डलाइन फिरोजाबाद के द्वारा बच्चों के हक के लिए आयोजित की गई एक रैली में ५०० से ज्यादा बच्चों ने उत्साहित होकर एक साथ मार्च किया। बच्चों ने फिरोजाबाद के सहायक श्रम आयुक्त राजेश मिश्रा और पुलिस निरीक्षक श्री दिनेश कुमार और चाइल्डलाइन टीमने एक साथ मिलकर रैली में मार्च किया।

जम्मू

बाल अधिकार अभियान

चाइल्डलाइन जम्मू ने श्री आर.पी. रेलवे, जम्मू के सहयोग से बाल मजदूर के खिलाफ विश्व दिवस को बाल अधिकार और बाल सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान के तहत मनाया। **चाइल्डलाइन** की टीम ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें १०९८ **चाइल्डलाइन** सेवा के बारे में बताया।

कंगरा

विद्यार्थी चाइल्डलाइन १०९८ की ओर उन्मुख : –

खनियारा के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए **कंगरा की चाइल्डलाइन** ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। २०० से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया।

■ भारत वर्ष में और हर जगह ०–१८ वर्ष के हर व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। हालाँकि, हमारे देश का श्रम कानून के द्वारा ही बच्चों को काम करने की इजाजत भी दी जाती है और वही इस बात का खंडन भी करता है कि ०–१८ वर्ष का हर इंसान बच्चा है।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

चंबा

विद्यालयों में बाल मजदूर को ना कहो अभियान

बाल श्रम को उखाड़ फेंकने में शिक्षा की महत्ता को उजागर करने के लिए **चंबा की चाइल्डलाइन** ने शिक्षा विभाग और मीडिया के साथ साझेदारी की। अपनी बहुत सी पहुँच के बाहर कार्यक्रमों के आयोजन के साथ **चाइल्डलाइन** ने बाल मजदूर को ना कहो के पोस्टर महत्वपूर्ण जगहों जैसे बस स्थानकों, दुकानों और ढाबों पर चिपकाए और बाँटें। इन्होने समाज के सभी वर्गों में संवेदनशीलता का सृजन करने के लिए ऐसा किया। इस अभियान का प्रसंग यथासमय और योग्य दोनों ही था और **चाइल्डलाइन** को बल अधिकार का उल्लंघन, को ठोस रुप से सबसे आगे लाने की अनुमति दी गई।

इसका उद्देश्य सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के बीच, बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। प्रतिभागियों को, **चाइल्डलाइन** की भूमिका और भारत में यह अपनी आपातकालीन हेल्पलाइन १०९८ पर किस प्रकार काम करता है, के बारे में बताया गया। यह भी समझाया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मजबूत कानूनों को लागू करने के महत्व की वकालत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) इस दिवस को किस प्रकार मनाता है और यह भी बताया कि **चाइल्डलाइन** ने किस प्रकार इस अभियान को अपनाया।

इस दिन सभी स्कूलों के विद्यार्थियों से इस विषय पर अपने अपने दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए कहा गया। १० उत्साही प्रतिभागियों ने बच्चों की समाज में आलोचनीयता के बारे में खुलकर बताया और हम में से हर एक व्यक्ति को किस प्रकार से एक जरूरतमंद बच्चे की जरूरतें पूरी करने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिये, यह भी साफ–साफ बताया।

विशाल कटोच में एक विद्यार्थी ने भारत में बालश्रम का मुकाबला करने पर बोला। उन्होने कहा हर एक बच्चे को खुशहाल बचपन बिताने का हक है। हर एक बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण में अपने अभिभावकों के मार्गदर्शन और संरक्षण में बड़े होने का हक है, फिर चाहें वह शहर हो या गाँव, घर हो या विद्यालय, बच्चा हर जगह बच्चा ही है और उसे एक शोषण और उत्पीड़न मुक्त बचपन जीने का हक है। फिर भी हर रोज करोड़ों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। अनुमानत: १२.६ मिलियन बच्चे खतरनाक उद्योगों में लगे हुए हैं, १४ वर्ष से नीचे के बाल श्रमिकों की गणना में पूरे विश्व में भारत सबसे आगे है। बच्चों की गरिमा को बनाए रखने और सहारा देने और उनके उत्पीड़न को खत्म करने की तरफ बढ़ाए गए कदम के वास्तविक योगदान से ही हम भविष्य की रक्षा कर सकते हैं।

चाइल्डलाइन ने न सिर्फ वयस्कों के बीच बल्कि विद्यार्थियों के बीच जिम्मेदारी के एहसास को जगाने की पहल की है। इसका कारण कि जिस जोश और उमंग के साथ बच्चे बोले हैं वह सराहनीय है। सभी विद्यार्थियों को अभियान में उनके सहयोग और उनके आंतरिक विचारों के लिए पुरस्कृत किया गया। लेकिन, बच्चे इस संवाद से क्या सीख कर गए और समाज को बदले में क्या देंगे, वह इससे ज्यादा लाभप्रद है।

वापस विद्यालय की ओर

चाइल्डलाइन चंबा ने अपनी मेहनत और बूतेपर हाल ही में बालश्रम के कई मामलों का खुलासा किया। उनके द्वारा आयोजित अभियान ने पूरे चंबा में कई जगहों पर असर पैदा किया।

चंबा जिले के प्रधान कार्यालय से करीब तीस कि.मी. दूर ख्वाड़ा के एक छोटे से गाँव में अपने माता–पिता के निधन के पश्चात अनूप कुमार अपने माता–पिता के साथ रहता था। क्योंकि उसके दादा–दादी दोनों बच्चों का एकसाथ खर्चा नहीं उठा सकते थे। इसलिए अनूप की बहन उसके दादा–दादी के साथ रहती थी और अनूप अपने मामा के साथ रहता था। नौवी कक्षा का अतिउत्तम छात्र अनूप से उसके मामा द्वारा कहा गया कि वो अब उसकी फीस और नहीं भर सकते। सत्र के बीच में ही अनूप को अपनी पड़ाई छोड़कर अपने गाँव के पास ही अपने मामा की बनाई हुई दुकान पर काम करना पड़ा। चौदह वर्ष का अनूप अपनी परिस्थितियों से लाचार था। वह आगे पढ़ना चाहता था और अपने मित्रों के साथ खेलना चाहता था। लेकिन इसके बदले अपनी रोजी कमाने के लिए उसे काम करना पड़ता था।

अनूप की इस दुर्दशा के बारे में पता चलने पर **चाइल्डलाइन** के एक स्वयंसेवक ने अपनी टीम को अनूप की कहानी बताई। टीम बच्चे के मामा से मिली और उन्हें बताया कि अनूप सिर्फ चौदह वर्ष का है और उन्हें उससे जबरद्स्ती मजदूरी करवाने का कोई अधिकार नहीं है। मामाजी और उनके परिवार से इस मामले में परामर्श किया गया। और बातचीत के बाद काम करवाने के बजाय अनूप के मामाजी ने उसको शिक्षा दिलवाने पर सहमत हो गये। **चाइल्डलाइन** ने अनूप के बारे में शिक्षा विभाग को बताया और उसको विद्यालय में दाखिला देने के लिए प्रार्थना की।

चाइल्डलाइन ने अनूप को एक स्कूल किट दिया जिससे कि उसके गरीब परिवार का बोझ कुछ हल्का हो जाए। आज अनूप खुश है कि अब उसे और किसी दुकान में काम नहीं करना पड़ता और वह अपना समय ज्ञानार्जन और दोस्तों के साथ खेलने में बिता सकता है।

मंडी

बाल श्रम विरोधी दिवस के मौके पर मंडी के बच्चों ने **चाइल्डलाइन मंडी** को सहयोग देने के लिए एक रैली का आयोजन किया। रैली के अंत में **चाइल्डलाइन** के सदस्यों ने बाल श्रम विरोध दिवस के बारे में बताया और यह भी बताया कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। लोगों को **चाइल्डलाइन** के कार्य के बारे में भी पता चला। किसी बच्चे को तकलीफ में देखकर उनके मन में चाइल्डलाइन १०९८ पर फोन करने की इच्छा जागृत हुई।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

सोलन

बच्चों की पसंदीदा जगहों के लिए अभियान

बाल श्रम विरोधी दिवस मनाने के लिए सोलन की **चाइल्डलाइन** ने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। बच्चों और नागरिकों में संवेदनशीलता पैदा करने के लिए पूरे दिन बच्चों की रैलियाँ, प्रतिज्ञाएं और जागरूकता कार्यक्रम सत्र होते रहे। रैली ने बच्चों के लिए अनुकूल समाज के निर्माण में हितधारकों के कठिन प्रयास की जरूरत पर प्रकाश डाला।

सोलन : विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकालते हुए स्कूली बच्चे।

■ १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के उद्योग में काम करने से रोकने के लिए बताया गया, बालश्रम निषेध और विनियमन अधिनियम २०१२, अभी तक राज्यसभा (पार्लियामेंट रेग्युलेशन) की हामी का इंतजार कर रहा है।

■ सन २०१२ में **चाइल्डलाइन** १०९८ को ढाबों और होटलों में काम करनेवाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फोन आए।

बाल मजदूरी करवाई तो एक साल की कैद

सोलन में बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद

अमर उजाला

चाइल्ड लाइन ने बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया

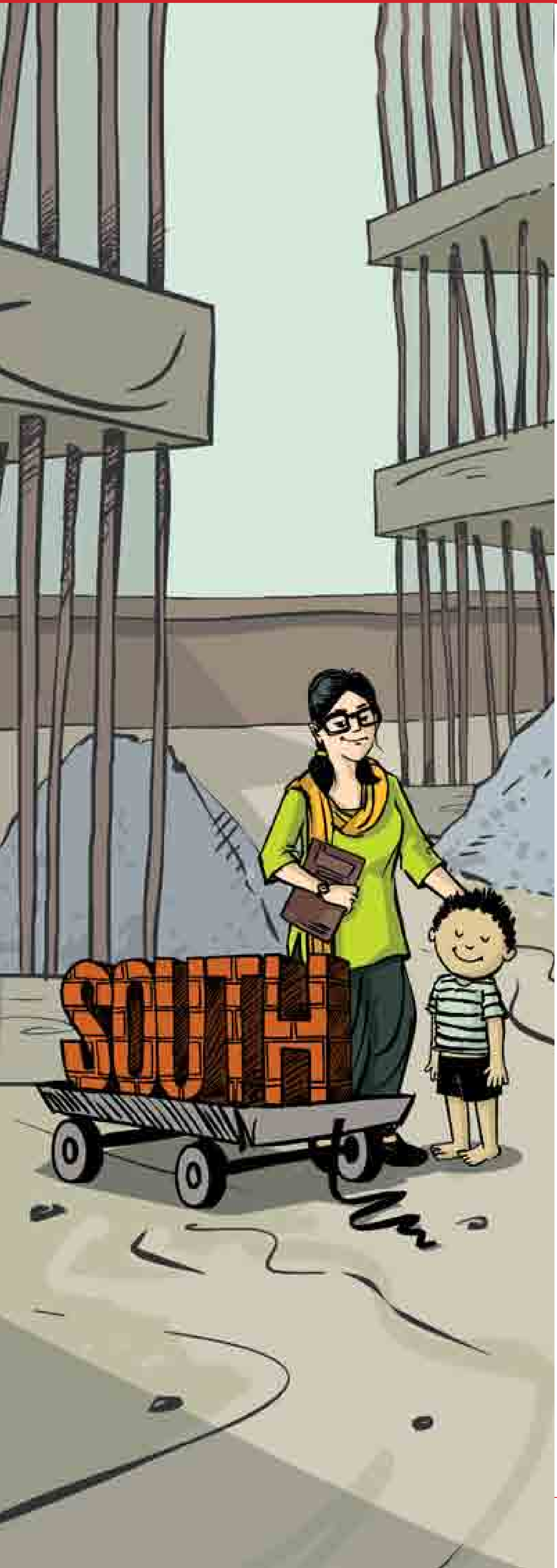

विजयवाड़ा

घरेलू बाल श्रम को रोकने की पहल

बाल श्रम विरोधी दिवस मनाने के लिए **विजयवाड़ा की चाइल्डलाइन** ने एक जागरूकता अभियान की शुरुवात की। श्रमिकों के सहायक आयुक्त श्री डी. अंजनीय रेड्डी ने घरेलू श्रम के विरोध में एक विज्ञापन निकाला।

भीड़ को संबोधित करते हुए श्री अंजनेय रेड्डी ने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए हम सबको आपस में एक होना होगा। श्री अंजनेय ने सामान्य नागरिकों से यह निवेदन किया यदि वे किसी भी बच्चे को परेशान देखें या घरेलू बालश्रम करते हुए बच्चों को देखें तो वे १०९८ अर **चाइल्डलाइन** को जरूर फोन करें। **चाइल्डलाइन विजयवाड़ा** के द्वारा बंदर रोड पर संचालित हस्ताक्षर अभियान के दौरान समाज के हर वर्ग के ३०० से भी ज्यादा लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग देने का वादा किया।

चाइल्डलाइन ने १४ बच्चों को बचाया

एक गुप्त सूचना मिलने पर श्रम विभाग, **चाइल्डलाइन विजयवाड़ा,** सीडब्ल्यूसी, एमड्ब्ल्यूसीडी और पुलिस के अधिकारियों द्वारा डाले गए एक छापे के दौरान घरेलू श्रमिक के रूप में काम करनेवाले चौदह बच्चों को बचाया गया। बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के सिलसिले में छापे आयोजित किये गए। उसके बाद बच्चों को बाल–कल्याण समिति के समक्ष लाया गया और फिर इन्हें चिकित्सकीय जाँच के लिए भेजा गया।

मैसूर

अंर्राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन दिवस के अवसर पर रैली

चार सौर से भी अधिक बच्चों, **चाइल्डलाइन** के सदस्यों, गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), एसडीएमसी के सदस्यों और पुलिस अधिकारियों ने सतगल्ली, मैसूर में बालश्रम विरोधी विश्व दिवस को मनाने

Against Child Labour in Satgalli, Mysore.

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

बेलगाम

बेलगाम चाइल्डलाइन उप लोक–शिक्षण (डीडीपीआइ) शिक्षण विभाग बेलगाम द्वारा निर्देशित सभी प्रतिभागियों को बलेगाम बालश्रम के खिलाफ निरंतर जागरूकता पैदा करने और बाल श्रम के कुद्दे से निपटने की प्रतिज्ञा करने के लिए धन्यवाद

बिदार

हजारों ब्चों ने जिला प्रशासन, श्रम विभाग, जिला कानूनी सेवाएं बोर्ड के सहयोग से **चाइल्डलाइन बिदार** के द्वारा बालश्रम के खिलाफ आयोजित रैली में भाग लिया। बिदार के जिला आयुक्त श्री पी.सी. जाफर ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।

दावणगेरे

चाइल्डलाइन १०९८ पर जागरूकता कार्यक्रम

चाइल्डलाइन दावणगेरे ने गवर्न्मेंट हायर प्राइमरी स्कूल, गांधी नगर, दावणगेरे और कोंडाजी, हरिहरा के बच्चों तक पहुँचने के लिए एक जन –जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मकसद बच्चों, शिक्षक्कों और अभिभावकों को जागरूक करना था।

गुलबर्गा

सुश्री पल्लवी अकुराठी, सी.ई.ओ., जिला पंचायत, गुलबर्गा ने जनता के उपनिदेशक (डीडीपीआइ), शिक्षण विभाग, गुलबर्गा को बाल श्रम विरोधी दिवस के अवसर पर **चाइल्डलाइन** के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने की ओर पहल करने का निर्देश दिया।

ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ

कोपाल

बालश्रम विरोधी रैलियाँ आगे बढ़ीं

चाइल्डलाइन कोपाल ने बालश्रम विरोधी विश्व दिवस के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए रैलियों और आउटरिच सत्रों का आयोजन किया।

शिमोगा

बाल अधिकारों पर रैली

बाल अधिकार, बाल सुरक्षा और **चाइल्डलाइन** के प्रति जागरूकता पैदा करने की आज्ञा देने के लिए **चाइल्डलाइन शिमोगा** ने शिमोगा में एक रैली का आयोजन किया। बाल श्रम के बुरे प्रभावों के प्रति आम नागरिकों, बस चालकों, पी.सी.ओ. के मालिकों और सड़क के बच्चों को जागरूक करने के लिए **चाइल्डलाइन** की टीम ने कियोस्क और स्टैन्डी लगाए। सौ बच्चों सहित वे लोग पाँच सौ की संख्या तक पहुँचने में कामयाब हो गए।

■ हालाँकि सन् २००० के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार १८ वर्ष से कम उम्र के लोग बच्चे माने जाते हैं, फिर भी भारत की जनगणना के आंकड़ों में १५–१८ वर्ष के लोग बालश्रम में शामिल नहीं किये जाते।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

पुडुकोट्टई

बालश्रम के विरोध में विद्यार्थियों ने रैली निकाली

चाइल्डलाइन पुडुकोट्टई के द्वारा बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के दिन, अरीमलम पंचायत के अध्यक्ष श्री गणेशन ने बाल श्रम के विरोध प्रतिज्ञा ली और रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया, जिसमे तीन सौ बच्चों ने भाग लिया। **चाइल्डलाइन** की टीम ने बाल श्रम के विरोध में विज्ञापरन पत्र बांटे और बालश्रम की बुराइयों के संदेश वाले विग्यापन वाहनों पर चिपकाए। रैली ने हजारों बाल श्रमिकों के प्रति चिंता व्यक्त की। अरिमालम पंचायत के अध्यक्ष श्री मारियप्पन, अरिमालम पंचायत पार्षद श्री चंद्रन, सरकारे प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमति मीनल, सहायक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती प्रिया और ब्लोक संसाधन केन्द्र की प्रशिक्षा श्रीमती गुलजार बानो, यह स्भी लोग रैली में उपस्थित थे।

■ घरेलू नौकरी की तरह विश्रामालायों, जलपान गृहों, चाय की दुकानों आदि में काम करना खतरनाक क्षेत्रों की सूची में शामिल है, इसलिए बच्चों को यहाँ काम नहीं करना चाहिये।

त्रिची

विद्यालय के विद्यार्थियों के एक नाटक ने स्कूल मत छोड़ो यह संदेश दिया।

चाइल्डलाइन त्रिची द्वारा आयोजित और सय्यद मुर्तजा सरकारी स्कूल के बच्चों के समूह के साथ मिलकर चाइल्डलाइन के स्वयंसेवकों द्वारा प्रदर्शित एक नाटक के द्वारा विद्यालय लगातार आओ का संदेश जीवंत होकर सामने आया और विद्यालय के बच्चों और चाइल्डलाइन के स्वयंसेवकों ने बाल अधिकारों और बालश्रम की बुराइयों पर एक नाटक और एक नृत्य का प्रदर्शन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में करीब ४०० बच्चों नें हिस्सा लिया और सय्यद मुर्तजा सरकारी विद्यालय, त्रिची के प्रधानाचार्य श्री सी. वेलुस्वामी ने इसकी अध्यक्षता की।

पुडुचेरी

चाइल्डलाइन पुडुचेरी ने बेबी साश के घर पर ब्चों के साथ बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस मनाया। बच्चों ने बालश्रम को बढ़ावा न देने की प्रतिज्ञा की क्योंकि हमारे संविधान में १४ वर्ष से नीचे के हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का हक दिया गया है। उन्होंने बच्चों के स्कूल जाने को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा की। **चाइल्डलाइन** की टीम ने बच्चों को बालश्रम का विरोध करने की प्रतिज्ञा दिलवाई।

अलापुझा

चाइल्डलाइन अलापुझा के द्वारा आयोजित बालश्रम विरोधी मांव श्रृंखला में सैकड़ों बच्चों ने भाग अलिया। बच्चों ने बालश्रम विरोधी विश्व दिवस पर मानव श्रृंखला के अनोखे अंदाज में विज्ञापनों को लेकर नारे बाजी की। बच्चों ने घरों, विश्रामालयों, ढाबों, गराजों में बच्चों के रोजगार की प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की।

देश भर में आयोजित गतिविधियाँ

कासरगौड़

बाल अधिकारों पर वर्कशॉप (कार्यशाला)

नीलेशवर में **चाइल्डलाइन कासरगौड़** ने बाल अधिकारों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप ने देखा कि पचास अधिकारियों ने अपने शेड्यूल में से समय निकालकर इसमे भाग लिया। **चाइल्डलाइन कासरगोड़** के संचालक श्री कोक्कनम रहमान, **चाइल्डलाइन कासरगौड़** की समन्वयक (कॉर्डिनेटर) श्रीमती के.वी. लिशा, इन सभी लोगों ने प्रतिभागियों को बाल–सुरक्षा के तीन स्तंभों की मूल बातों को बताकर उनकी रूचि कायम रखी।

कोट्टयम

बालश्रम और बाल अधिकारियों पर सेमिनार

जी.सी.एम. कॉलेज की रंगशाला (नाट्यगृह, ऑडिटोरियम) में श्रम विभाग के सहयोग से **चाइल्डलाइन कोट्टयम** ने बाल श्रम और बाल अधिकारों पर पूरे दिन का एक लंबा सेमिनार किया।

कोट्टयम नगरपालिका के अध्यक्ष श्री एम.पी. संतोष कुमार ने इस सेमिनार का उद्घाटन किया।

मालापुरम

स्टीकर अभियाना

बालश्रम विरोधी विश्व दिवस के अवसर अप्र **चाइल्डलाइन मालापुरम** ने श्रम विभाग के सहयोग से विश्रामालयों और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए विश्रामालायों और दुकानों और सार्वजनिक जहगों पर स्टीकर अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का मकसद स्थानीय दुकानदारों को बाल श्रमिकों को रोजगार न देने के प्रति जागरूक करना था। टीम ने पुलिस बैरिकेड्स, बिजली के खंभों आदि पर **चाइल्डलाइन** स्टीकर चिपकाए और जागरूकता सामग्री बांटी।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान टीम ने यह देखा कि करीब आठ सौ लोगों ने गहरी रूचि दिखाई और बाल श्रम के विरोध में **चाइल्डलाइन** को सहयोग देने का वादा किया।

धारवाड़

बाल श्रम विरोधी जागरूकता अभियान

धारवाड़ के कई स्कूलों में **चाइल्डलाइन** धारवाड़ ने बाल श्रम विरोधी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के अवसर पर **चाइल्डलाइन** की टीम के द्वारा कई रैलियाँ,सेमिनार और सत्रों का आयोजन किया गया।

■ हममें से बहुत लोग इसे तर्क के आधार पर उचित बताते हैं, कि यदि वह काम नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा या गाँव में भूख से तो अच्छा है कि वो हमारे यहाँ काम करे और रसोईघर में चैन से सोए या फिर वह खेत में अपने माता–पिता की मदद कर रहा है वगैरह–वगैरह। वह हर बच्चा जिससे काम करवाया जाता है, उसे अपनी शिक्षा को और बचपन को त्यागना पड़ता है।

बाल श्रम पर सीआईएफ फिल्म्स!

बीजापुर

बड़े पैमाने पर विद्यालयों का जागरूकता अभियान

विद्यालयों में बाल श्रम विरोधी जागरूकता पैदा करने के लिए **चाइल्डलाइन बीजापुर** ने नागरिक निर्देशित, शिक्षा विभाग, बीजापुर (डीडीपीआइ) के सह संचालक से आज्ञा ली। **चाइल्डलाइन** की टीम ने चार व्यालयों में अभियान का आयोजन किया। सैकड़ों बच्चों ने बाल श्रम के खिलाफ शपथ ली, जिसका संचालन **चाइल्डलाइन** की टीम द्वारा किया गया।

बीजापुर गांधी चौक तक पहुचे

चाइल्डलाइनने बाल अधिकारों और बाल श्रम के मुद्दों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस के अवसर पर बीजापुर के गाँधी चौक में एक स्टॉल लगाने के द्वारा अपनी बढ़त की।

श्री जंबुनाश गुट्टी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने स्टाल का शुभारंभ किया। श्री ए. एन. पाटिल, जिला श्रम अधिकारी, श्री एस. वाय. हलिंगली, लोक शिक्षण के उपनिदेशक उपस्थित थे।

क्या आप जानते हैं?

भारत की ११% श्रम शक्ति बाल श्रमिक हैं। भारत में हर १० श्रमिकों में से एक बच्चा बाल श्रमिक है।

बाल श्रम पर सीआईएफ फिल्म्स!

पत्थरों के साथ रहते हैं – खानों में बच्चे

गुजरात की खदानों में कृपाण पत्थरों को तोड़ते हुए छोटे–छोटे हाथों और पैरों की पटपटाहट की आवाज गुँजती है। ये खानाबदोश खदानों में काम करनेवालों के अपने घरों विस्थापित, दोस्तों से जुदा, स्कूलों से जबरदस्ती निकाले गए बच्चे हैं; क्योंकि उनके अभिभावकों ने गुजरात की पत्थर की खानों में अस्थायी जीविका तलाशी है। यह फिल्म, जो कि चाइल्डलाइन रिपोर्ट का एक हिस्सा है, भारत की विशाल, आर्थिक रूप से दिखाई देनेवाले सीमेंट, उद्योग के संदर्भ में, उन बच्चों का परीक्षण करती है जिनका जीवन उजड़ा हुआ है और इन्हें हालात से मजबूर होकर जबरदस्ती शारीरिक श्रम करना पड़ता है।

इसे पर देखिये
http://www.childlineindia.org.in/1098/living-with-stones-children-of-mines.htm

शिक्षा मायने रखती है (शिक्षा महत्वपूर है/ एज्यूकेशन काउन्ट्स)

एज्यूकेशन काउन्ट्स भारत के बाल श्रम के मुद्दे की व्याख्या करनेवाली एक एनिमेशन चलचित्र है, जिसका नामांकन सर्वश्रेष्ठ लोक सेवा श्रेणी की फिल्म के तहत असोसम इन्फोकोम इमी अवार्ड (२०१३) के लिए किया गया था। इस फिल्म का निर्माण क्लांट मीडिया द्वारा किया गया था, जो कि संपूर्ण फिल्म सेवा प्रोडक्शन हाउस, फीचर फिल्मों का प्रमुख ब्रान्ड और एजेंसियों की विज्ञापन फिल्मों डोकर और एनिमेशन का करता है। इस फिल्म के लक्षित दर्शक ८ वर्ष से लेकर वयस्कों के बीच है। कॉन्वेंट में जानेवाले रोशन को इमारत के निर्माण स्थल के एक बच्चे अजय में एक असंभव सा दोस्त और हीरो मिलता है। जल्दी ही उसे अजय की उस दर्द भरी जिंदगी का कड़वा सकह पता चलता है, कि वह एक बाल श्रमिक है और वह उसकी मदद करने का निर्णय लेता है। यह सरल कथन दर्शकों को एक जोरदार संदेश प्रदान करता है।

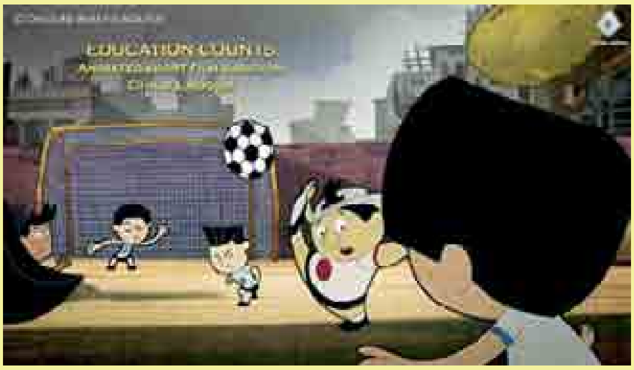

इसे पर देखिये
http://www.childlineindia.org.in/1098/education-counts-video.html

चाइल्ड लाइन खबरों में

दैनिक भास्कर

बाल श्रम को ना, शिक्षा को कहा हां

बाल मजदूरी विरोध दिवस पर बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जागरूक

दैनिक जागरण

बाल श्रम अपराध : रमेश

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಕಾರಣ: ಸಾಲಮಂಟಪಿ

पंजाब केसरी

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ

ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆ

'ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ' ಜನ ಜಾಗೃತಿ

फोन कॉल बताएंगी सरकारी प्रोग्रेस रिपोर्ट

बाल श्रम की शिकायतें खोल रहीं प्रयासों का चिट्ठा

चाइल्ड लाइन खबरों में

ये कैसा बाल श्रम उन्मूलन दिवस

दस साल में एक को भी सजा नहीं

10 वर्षों में आई 500 शिकायतें

हिमाचल दस्तक ब्यूरो । शिमला

हिमाचल में बाल श्रम करवाने वालों को सजा देने का रिकार्ड शून्य है। दस सालों में बाल श्रम को लेकर छापेमारी तो हुई लेकिन सजा के तौर पर एक मामला भी दर्ज नहीं हो सका है। दस सालों में 500 मामले बाल श्रम को लेकर पकड़े गए हैं।

इसमें सजा के तौर पर एक भी केस ऐसा नहीं मिला है जिसमें आरोपी को छह माह की सजा हुई हो। जुर्माने की राशि के तौर पर 100 मामलों में बाल श्रम करवाने वालों से पांच से दस हजार की राशि पकड़े गए बच्चों के पुनर्वास को लेकर तो ली गई है लेकिन सब केस चला तो बाल श्रम करवाने के तौर पर मिलने वाली सजा से छूट पा निकले। प्रदेश में बाल श्रम पर कार्रवाई को लेकर इतनी सुस्ती है कि साल 2012-13 में 40 बाल श्रम केसों में अभी तक कोर्ट में चालान पेश नहीं हो पाए हैं। जिसमें सबसे ज्यादा मामले सोलन से हैं जहां पर 11 केस में बाल श्रम पर चालान पेश नहीं हो सके हैं। प्रदेश में चाइल्ड हेल्पलाइन, श्रम विभाग, स्वास्थ्य और पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी की जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा केस ढाबों में पकड़े गए हैं। बुधवार को प्रदेश भर में बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया गया लेकिन बाल श्रम करवाने की सजा दिलवाने वालों के लिए किसी भी विभाग द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया।

सुस्त रवैया कारण : प्रदेश में छापेमारी तक ही बाल मजदूरी पर पकड़ उठाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद पकड़े गए बच्चों के बयान लेने में दिक्कतें सबसे ज्यादा रहती हैं। पकड़े गए बच्चे प्रदेश छोड़ कर अपने घर चले जाते हैं। यदि उनके बयान ले भी लिए जाएं तो बच्चे के मेडिकल रिपोर्ट में मुश्किल आती है। 14 वर्ष की

ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರಣ

1098ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ

सोलन/सिरमौर

1098 पर करें बाल मजदूरी की शिकायत : मोहंती

बाल मजदूरी करवाई तो एक साल की कैद

Divya Himachal

सोलन में बाल श्रम के खिलाफ आवाज बुलंद

देवभूमि का अग्रणी समाचारपत्र

दिव्य हिमाचल

पेंटिंग से बाल मजदूरी पर प्रहार

विश्व श्रम दिवस पर चाइल्ड लाइन संस्था ने छात्रों को किया जागरूक

चाइल्ड लाइन फेसबुक पर

चाइल्ड लाइन ने बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया

Childline India Foundation

CHILDLINE Mandi observed World Day Against Child Labour in Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Pandoh in Mandi.

Childline India Foundation

Children pledge against Child Labour in Puducherry !

CHILDLINE Puducherry observed the World Against Child Labour Day with children at the Baby Sarah's Home. Children pledged not to encourage child labour as all children below the age of 14 had a Right to Education under the Constitution. They pledged to encourage children to go to schools.

CHILDLINE team administered anti-child labour pledge to the children.

Like · Comment · Share · Edit · June 13

Ali Hassan, Madhumita Deb, Himanshu Bhagat and 65 others like this.

13 shares

Das Das hi

June 13 at 7:22pm · Like

Sreejith Nair the matter is hw many child is able to fill their stomachs !!!

:-(

right to education is still a far far dream for millions and millions of children ......right to have fud shld b there !!!

June 13 at 8:15pm via mobile · Like

Write a comment...

Childline India Foundation

In the news!

Street Plays and Rallies against Child Labour, Posters campaigns were organised by CHILDLINE Bhopal to mark World Day Against Child Labour Day in Bhopal.

Like · Comment · Share · Edit · June 13

Himanshu Bhagat, Raman Chandila, Lalit Upadhyaya and 24 others like this.

1 share

Das Das good

June 13 at 7:22pm · Like

Write a comment...

Find us on Facebook

Facebook.com/childline-India-Foundation

Get updated with the latest news and happenings at CHILDLINE. Follow us, share, comment and discuss.

Support our cause! Visit the CHILDLINE website

www.childlineindia.org.in

Like us!

Twitter Buzz

CHILDLINE @CHILDLINE1098 Follow

#CHILDLINE Firozabad's rally spreads awareness against #ChildLabour! pic.twitter.com/t1ii6RrIHL

Reply · Retweet · Favorite · More

CHILDLINE @CHILDLINE1098 Follow

#Children participate in #CHILDLINE's #campaign 'Say NO to #child #labour' on #WDACL! pic.twitter.com/woePTc3sBH

Reply · Retweet · Favorite · More

Join the conversation!

Follow us on Twitter

https://twitter.com/CHILDLINE1098

पूरे देश में चाइल्डलाइन

CHILDLINEfamily

Government Partners

Ministry of Women and Child Development, Department of Telecommunications, Ministry of Health, Railway Ministry, Department of Social Defence/ Social Welfare.

NGO Partners

North

Agra [Childhood Enhancement through Training & Action)],**Ajmer** [DISHA-Roman Catholic Diocesan Social Service Society, Rajasthan Mahila Kalyan Mandal, Grameen Evam Samajik Vikas Sansthan, Mahila Jan Adhikar Samiti, Gharib Nawaz Mahila Awam Bal Kalyan Samiti], **Aligarh** [UDAAN Society], **Alwar** [Nirvanavan Foundation],**Ambala** [Zilla Yuva Vikas Sanghatan],**Amritsar** [Navjeevan Charitable Society for Integral Development], **Baharaich** [Pratham, Developmental Association for Human Advancement, Bhartiya Gramothan Seva Sansthan],**Balia** [Navbhartiya Nari Vikas Samity],**Banda** [Chitrakoot Jan Kalyaan Samiti],**Barmer** [Dhara Sansthan, Gramin Vikas Sansthan],**Bharatpur** [Disha Foundation],**Bhilwara** [CUTS CHD],**Bikaner** [Urmul Trust, Urmul Jyoti Sansthan, Urmul seemant samiti, Urmul Setu Sansthan],**Chamba** [Education Society],**Chandigarh** [Youth Technical Training School],**Chitrakoot** [*Akhil Bhartiya Samaj Sewa Sansthan],**Dehradun** [Mountain Children's Foundation],**Delhi** [Salaam Baalak Trust, Don Bosco Ashalayam, Delhi Brotherhood Society, Prayas, Butterflies],**Dungarpur** [Rajasthan Bal Kalyan Samiti, Bhoruka Charitable Trust, Mahila Grameen Vikas Evam Takniki Prashikshan Sansthan],**Faridkot** [Natural's Care],**Firozabad** [Chirag Society],**Gautam Budh Nagar** [FXB India Suraksha, SADRAG, Association for Welfare Social Action & Research India],**Ghaziabad** [Asha Deep Foundation],**Gorakhpur** [DISA, Purvanchal Gramin Seva Samiti], **Gurdaspur**[District Child Welfare Council],**Gurgaon** [Shakti Vahini], **Haridwar** [Shri Bhuvneshwari Mahilla Ashram],**Hissar** [Shikhar Chetna Sangathan],**Jaipur** [I-India, Jan Kala Sahitya Manch Sanstha, Institute for Development Studies], **Jaisalmer** [CECOEDECON],**Jalandhar** [Nari Niketan Trust],**Jammu** [Indian Red Cross Society, University of Jammu],**Jhansi** [Society of Franciscan Brothers], **Jodhpur**[Jai Bhim Vikas Shikshan Sansthan] **Kangra** [Urban Tribal & Hills Advancement Society],**Kanpur** [Subhash Children's Society],**Kannauj** [Warsi Sewa Sadan],**Karnal** [District Council For Child Welfare Bal Bhawan, Karnal],**Kaushambi** [Vaishno Gram Vikas Sewa Samiti, Kamla Gram Vikas Sansthan, Jan Kalyan Mahasamiti],**Kota** [Alarippu, Rajasthan State Bharat Scouts & Guides],**Lakhimpur** [PACE, Chitranshu Samaj Kalyan Parishad],**Lucknow** [Human Unity Movement, National Institute for Public Cooperation and Child Development],**Ludhiana** [Swami Ganga Nand Bhuri Wale International Foundation],**Maharajganj** [Vikalp, Srishti Seva Sansthan, Purvanchal Gramin Seva Samiti],**Manali** [HP Mahila Kalyan Mandal, Himalayan Friends],**Mandi** [Society for Rural Development and Action],**Meerut** [Janhit Foundation],**Moradabad** [Society for All Round Development],**Nainital** [Vimarsh],**Panipat** [Gandhi Smarak Nidhi],**Pathankot** [Dr. Sudeep Memorial Charitable Trust, Saint Francis Home],**Patiala** [Navjivini School of Special Education], **Poonch**[National Development Foundation] **Saharanpur** [Bharat Sewa Sansthan],**Shimla** [Himachal Pradesh Voluntary Health Association],**Siddharth Nagar** [Shohratgarh Environmental Society (SES)], **Sirmaur**[Peoples Action for People in Need], **Sirsa**[DISHA],**Solan** [Himachal Pradesh Voluntary Health Association],**Sri Ganganagar** [SK Sewa Samiti],**Srinagar** [Human Efforts for Love & Peace Foundation],**Tonk** [Shiv Shiksha Samiti],**Udaipur** [Seva Mandir, Udaipur School of Social Work],**Varanasi** [Gandhi Adhyanpeeth, Association for the Socially Marginalzed's Integrated Therapeutic Action (ASMITA)],**Yamuna nagar** [Utthan Institute of Development and Studies].

South

Adilabad [MAHITA], **Alappuzha** [The Allepey Diocesan Charitable and Social Welfare Society],**Anantapur** [Women's Development Trust,Human And Natural Resources Development Society, Praja Seva Samaj], **Bangalore** [Association for Promoting Social Action, Bangalore Oniyavara Seva Coota, Child Rights Trust],**Belgaum** [United Social Welfare Association],**Bellary** [Centre For Rural Development, Bellary Diocesan Development Society, Don Bosco-The Hospet Salessian Society, Rural Education & Action Development, Society for Integrated Community Development],**Bidar** [Sharada Rudseti Institution, Don Bosco Youth Empowerment Services, Sahayog, Dr. B. R. Ambedkar Cultural & Welfare Society, ORBIT], **Bijapur**[Ujjwala Rural Development Service Society], **Chennai** [Department of Social Defence, Indian Council for Child Welfare, Don Bosco Anbu Illam, Asian Youth Centre],**Chittoor** [Stree Sakthi Sangathana, Rural Organization for Poverty Eradication Services, Rural Institute for Social Education, Academy of Gandian Studies],**Coimbatore** [Don Bosco Anbu Illam],**Cuddalore** [Indian Council for Child Welfare],**Davangere** [Adarsha Samaja Karya Samsthe, Don Bosco Child Labour Mission, SPOORTHY, Kolache Pradesha Parisara Parivarthane Mathu Halligala Abhivrddi Samsthe, Social Welfare & Rural Development Agency-Karnataka],**Dharmapuri** [Thencodu Federation society, Don Bosco College, Hebron Caring Society for Children],**Dharwad** [Belgaum Diocesan Social Service Society,Sneha Education & Development Society, Socio-Economic Education Development Action, Karmani Grameena Seva Pratishtan, Kalyana Kiran Social Service Institution],**Dindigul** [Dindigul Multipurpose Social Service Society, CEDA Trust, Mutual Education for Empowerment and Rural Action],**Eluru** [Social Service Centre, Department of Social Work-DNR College], **Erode**[Centre for Education and Empowerment of the Marginalized],**Gulbarga** [Seth Shankarlal Lahoti Law College, Don Bosco PYAR, Margadarshi],**Guntur** [Good Shepherd Convent, Social Educational and Economic Development Society],**Hassan** [PRACHODANA (Centre for Social Service)],**Hyderabad** [Divya Disha, Society for Integrated Development in Urban and Rural Area],**Idukki** [Marian College Kuttikanam, Voluntary Organization for Social Action and Social Development (Collab), Voluntary Organization for Social Action and Social Development (sub centre), Vijayapuram Social Service Society],**Kanchipuram** [Hand in Hand, Association for Community Development Service],**Kannur** [Don Bosco College,Tellichery Social Service Society, Association for the Welfare of Handicapped],**Kanyakumari** [Kottar Social Service Society, Holy Cross College],**Karaikal** [Social Need Education and Human Awareness (SNEHA)],**Karimnagar** [Pratham Education Initiative],**Karur** [Psychological and Community Health Organization Trust],**Kasargod** [Mar Thoma College of Special Education, Institute of Applied Dermatology, People's Action for Non Formal Education & Development in Technology], **Khammam**[Society for Community Particapation & Education in Rural Development (SCOPE-RD), Centre for Action on Disabled Rights & Empowerment (CADRE)],**Kochi** [Don Bosco Sneha Bhavan, Rajagiri College of Social Sciences],**Kodagu** [Coorg Organization for Rural Development],**Kolar** [MANASA Centre for development and social action],**Kollam** [Quilon Social Service Society, Quilon Don Bosco Society, Punalur Social Service Society],**Koppal** [Sarvodaya Integrated Rural Development Society, Pastoral Sociology Institute],**Kottayam** [Bishop Choolaparambi Memorial Outreach Joint Action to Strengthen Society (BCM OJASS), Vijayapuram Social Service Society (VSSS), We Care Centre],**Kozhikode** [Association for Welfare of the Handicapped, Farook College],**Krishnagiri** [Association for Rural Community Development (ARCOD),**Kurnool**[Sri Parameswari Educational Society],**Madurai** [Madurai Institute of Social Sciences, Sakthi (Vidiyal)],**Mahabubnagar**[Eco-Club (Paryavarana Pariraksana Sanstha, Lambada Hakkula Vedika],**Malappuram** [Pocker Sahib Memorial Orphanage College, Sheshy Charitable Society, Rajagiri Outreach],**Mandya** [Vikasana Institute for Rural and Urban Development, Bheem Integrated Rural Development Society],**Mangalore** [Roshni Nilaya, School of Social Work, PADI],**Medak**[Centre for Action Research and People's Development, Divya Disha],**Mysore** [Organization for the Development of People, Rural Literacy & Health Programme, Nisarga Foundation],**Nagapattinam** [Avvai Village Welfare Society, Society of DMI],**Namakkal** [Leadership through Education and Action foundation Society (LEAF)], **Nizamabad** [Perali Narasiah Memorial Charitable Trust],**Ongole** [HELP],**Palghat** [Preshitha Social Service Society, Mercy College],**Pathanamthitta** [Bodhana],**Puducherry** [Integrated Rehabilitation & Development Centre, Pondicherry],**Pudukkottai** [Pudukkottai Multipurpose Social Service Society (PMSSS), Rural Development Organization (RDO), Rural Education for Community Organization (RECO)],**Raichur** [Janachetana],**Ramanthapuram** [Tamil Nadu Rural Reconstruction Movement (TRRM), Society for People's Education and Economic Development (SPEED), People's Action for Development (PAD),**Salem** [Don Bosco Social Service Society, Young Women's Christian Association],**Shimoga** [Siddeshwara Rural Development Society, Malnad Social Service Society],**Srikakulam** [Youth Club of Bejjipuram, Bapuji Rural Enlightment and Development Society, Gunna Udatayya Eternal Service Team,(Palasa), Gunna Udatayya Eternal Service Team (Itchapuram), Action in Rural Technology and Services, Bapuji Rural Enlightenment and Development Society],**Thanjavur** [Periyar Maniammai University, Social Health & Education Development India],**Tiruvannamalai** [Rural Education & Development Society, Terre Des Homes Core Trust (Collab), Terre Des Homes Core Trust (sub centre)],**Trivandrum** [Trivandrum Don Bosco Veedu Society, Loyola Extension Services, Trivandrum Social Service Society],**Thiruvallur** [Mass Action Network, Arunodhaya Centre for Street and Working Children, Jeeva Jyothi],**Tirunelveli** [Saranalayam-TSSS],**Thrissur** [St.Christina Holy Angel's Home, Department of Social Work, Vimala College],**Tirupur** [Tirupur Auxilium Salesian Sisters Society, Social Awareness & Voluntary Education],**Trichy** [Department of Social Work - Bishop Heber College, Sisters of the Cross Society for Education And Development],**Tuticorin** [People Action for Development],**Tumkur** [Sree Veerabhadra Swamy Education Society, BADUKU], **Vijayawada** [Forum for Child Rights (Collab), Forum for Child Rights (Nodal)], **Villupuram** [Bullock Cart Workers Development Association, Association for Rural Masses (Collab), Association for Rural Masses (Sub Centre) Centre for Coordination of Voluntary Works and Research, Mother Trust, Nambikkai Trust],**Virudh Nagar** [Resource Centre for Participatory Development Studies, Society for People's Education & Economic Change (Collab), Society for People's Education & Economic Change (Sub centre), Madurai Multipurpose Social Service Society, Trust for Education & Social Transformation],**Vizianagaram** [Association for Rural Development and Action Research, Nature],**Vishakhapatnam** [Association for Rural Development and Action Research, UGC-DRS Programme, Department of Social Work],**Warangal** [Pragathi Seva Samithi, Modern Architects for Rural India, THARUNI, Franciscan Missionary of Mary Social Service Society],**Wayanad** [Joint Voluntary Action for Legal Alternatives, Hilda Trust],**YSR Kadapa** [Vimala Community Development Centre, Vijay Foundation, Rural Action in Development Society, Rayalaseema Harijana Girijana Backword Minorities].

East

Agartala [Voluntary Health Association of Tripura, Tripura Council for Child Welfare, Tripura Adibasi Mahila Samity],**Andaman** [Dweep Prayas (Collab, Dweep Prayas (support)], **Aizwal** [Centre for Peace and Development, **Bhadrak**[*Society for Weaker Community, Pragati Jubak Sangha] **Balasore** [Basti Area Development Council, Bapuji Seva Sadan, Alternative for Rural Movement, Aswasana],**Behrampur** [Indian Society for Rural Development, National Institute for Rural Motivation Awareness & Training Activities],**Bhagalpur** [Disha Gramin Vikas Manch, Naugachia Jan Vikas Lok Karyakram, Utkrishta Seva Sansthan],**Bhirbhum**[Elmhirst Institute of Community Studies, Jayaprakash Institute of Social Change, Rampurhat Spastics and Handicapped Society],**Bhubaneswar** [Ruchika Social Service Organisation, Bhairabi Club],**Bilaspur** [Samarpit, Shikhar Yuva Manch],**Bolangir** [ADHAR, KALYAN, Youth Services Centre],**Burdwan** [Asansol Burdwan Seva Kendra, Jayprakash Institute of Social Change (Asansol), Jayprakash Institute of Social Change (Katwa)],**Buxar**[Gramin Sansadhan Vikash Parishad, Disha Ek Prayas],**Chaibasa** [Society for Reformation and Advancement of Adivasis],**Cooch Behar** [Society for Participatory Action and Reflection (SPAR), Haldibari Welfare Organization],**Cuttack** [Open Learning System, Basundhara],**Dakshin Dinajpur** [Society for Participatory Action and Reflection],**Darbhanga** [East & West Educational Society, Kanchan Seva Ashram, Sarvo Prayas Sansthan, Gramoday Veethi (Keoti) , Gramoday Veethi (Singhwara), Gyan Seva Bharti Sansthan],**Darjeeling** [CINI – North Bengal Unit, Kanchanjungha Uddhar Kendra Welfare Society, Bal Suraksha Abhiyan],**Deoghar** [Gram Jyoti, Network for Enterprise Enhancement and Development Support (NEEDS), Young Action for Mass, India (YAM, India)], **Dhalai**[Prabha Dhalai],**Dhanbad** [Bhartiya Kisan Sangh, Gram Praudyigik Vikas Santhan (Nirsa), Gram Praudyigik Vikas Santhan (Tundi)],**Dibrugarh** [North East Society for the Promotion of Youth and Masses (NESPYM)],**Dimapur** [Prodigals Home, Community Educational Centre Society],**Durg** [LokShakti Samaj Sevi Sansthan, Jan Sevak Samity],**Gaya** [People First Educational Charitable Trust],**Guwahati** [Indian Council for Child Welfare (ICCW), National Institute for Public Cooperation & Child Development (NIPCCD)],**Hooghly** [Satya Bharati],**Howrah** [Don Bosco Ashalayam],**Imphal** [Department of Anthropology, Manipur Mahila Kalyan Samity (MMKS)],**Itanagar** [Don Bosco School], **Jagdalpur**[*Bastar Samajik Jan Vikas Samiti], **Jalpaiguri** [Jalpaiguri Welfare Organisation, Ananda Chandra College],**Jashpur** [Samarpit- Centre for Poverty Alleviation and Social Research],**Jowai** [Jantai Hills Development Society],**Kailashahar** [Blind & Handicapped Association, Pushparaj Club],**Kandhamal** [Banabasi Seva Samity], **Katihar**[Bal Mahila Kalyan, Welfare India,],**Kishanganj** [East & West Educational Society, Cresent Educational & Welfare Trust, Nilu Jan Vikas Sansthan, Koshi Gramin Vikas Santhan Araria, Compeering Society for Social Work and Research Network],**Kolkata** [CINI ASHA, City Level Programme for Street & Working Children, Loreto Day School - Sealdah, Bustee Local Committee & Social Welfare Centre, Institute of Psychological & Educational Research],**Lakhimpur** [Dikrong Valley Environment & Rural Development Society],**Malda** [Haiderpur Shelter of Malda, Chanchal Jankalyan Samity],**Mayurbhanj** [Rural Development Action Cell (RDAC), Centre for Regional Education Forest & Tourism Development Agency],**Murshidabad** [Palsapally Unnayan Samity, CINI- Murshidabad Unit, Gorabazar Shahid Khudiram Pathagarh],**Muzaffarpur** [National Institute for Rural Development Education Social Upliftment and Health (NIRDESH), Mahila Development Centre, Gramin Jan Kalyan Parishad, Hanuman Prasad Gramin Vikas Samity], **Nabarangapur**[*Socio-Economic Development Programe, **Society** for Agriculture, Health & Education, *Animal Husbandary & Rural Developmental Action (SAHARA)],**Nadia** [Sreema Mahila Samity, Chapra Social and Economic Welfare Association],**Nagaon** [Gram Vikas Parishad, Sadau Asom Gramya Puthibharal Santha],**North 24 Parganas** [Centre for Communication and Development, Dhagagia Social Welfare Society, North 24 Parganas Sammyao Sramagivi Samiti, Khalisady Anubhab Welfare Association, Joygopalpur Youth Development Center, Charuigachhi Light House Society, Katakhali Empowerment & Youth Association, Sayestanagar Swanirvar Mahila Samity],**Pakur** [Bhartiya Kisan Sangh, Jan Lok Kalyan Parishad, Gramin Vikas Kendra, Lok Kalyan Seva Kendra, Tagore Society for Rural Development, Foundation for Awareness Counselling and Education, Aman Samaj Kalyan, Jharkhand Vikas Parishad],**Paschim Medinipur** [Prabuddha Bharati Sishu Tirtha, Vidyasagar School of Social Work, Chak-Kumar Association for Social Service],**Patna** [Balsakha, East & West Educational Society, Nari Gunjan],**Purba Medinipur** [Vivekananda Lok Siksha Niketan],**Puri** [Rural and Urban Socio Cultural Help],**Purnea** [Tatvasi Samaj Nyas (Collab), Tatvasi Samaj Nyas (sub centre), Akhil Bhartiya Gramin Vikas Parishad, Parivesh Purna Jagran Sansthan],**Purilia** [Centre for Environmental & Socio Economic Regeneration, Manipur Leprosy Rehabilitation Centre],**Raigarh** [Lok Shakti Samiti],**Raipur** [Sankalp Sanskritik Samiti, Chetna Child & Women Welfare Society], **Rajnandgaon** [Srijan Samajik Sanstha],**Ranchi** [Xavier's Institute of Social Service, Chotanagpur Sanskritik Sangh],**Rayagada** [Sakti Social Cultural & Sporting Organisation, Palli Vikash],**Rourkela** [Disha, Community Action for the Upliftment of Socio-Economically Backward People (CAUSE)],**Saharsa** [Anusuchit Jati / Anusuchit Janjati Kalyan Samiti, Mimansa Kalyan Samiti, Kosi Sewa Sadan],**Sambalpur** [ADARSA, Rural Organisation for People's Empowerment, ASHA],**Shillong** [Bosco Reach Out], **Silchar** [Deshbandhu Club, Rajiv Open Institute],**Sitamarhi** [Pratham Mumbai Education Initiative(Parihar),Pragati Ek Prayas, (Sonbarsa), Pragati Ek Prayas (Riga), ADITHI],**South 24 Parganas** [Sabuj Sangha, CINI-Diamond Harbour Unit, School of Women's Studies (Jadavpur University)],**Tura** [Bakdil],**Udaipur** [Organization for Rural Survival],**Uttar Dinajpur** [CINI Uttar Dinajpur Unit],**Vaishali** [Swargiya Kanhai Shukla Samajik Sewa Sansthan, LAKSHYA, Vaishali Samaj Kalyan Sansthan, Narayani Seva Sansthan], **West Champaran**[*Jan Vikas, *Berojgar Sangh Valmikinagar, Sarvodaya Pustakalaya Sikshan Vikas Sansthan].

West

Ahmedabad [Ahmedabad Study Action Group, Gujarat Vidyapith],Ahmednagar [Snehalaya],Akola [Indian Institute of Youth Welfare],Amravati [Shree Hanuman Vyayam Prasarak Mandal],Anand [Tribhuvandas Foundation],Aurangabad [*Aapulki Samaj Seva Sanstha's, Dilasa Jan Vikas Pratishthan],Baroda [Baroda Citizens Council, Faculty of Social Work, MS University],Beed [Manavlok,Yuva Gram Vikas Mandal],Betul [Pradeepan],Bhavnagar [Shaishav],Bhind [Mahila Bal Vikas Samiti (India)],Bhopal [Advocacy for Alternative Resources Action Mobilization & Brotherhood, The Bhopal School of Social Sciences], Buldhana [Bhartiya Bahuuddeshiy Lok Shikshan Sansthan, Savitribai Phule Mahila Mandal, *Mahatma Phule Samaj Sewa Mandal], Chhindwara[Jan Mangal Sansthan],Dadra Nagar & Havelli [India Red Cross Society],Dewas [Jan Sahas Social Development Society],**Dhule [West Khandesh Bhagini Sewa Mandal],Goa [Nirmala Education Society, Vikalp Trust, Caritas-Goa],Guna [Kalpataru Vikas Samiti],Gwalior [Centre for Integrated Development],Harda [Synergy Sansthan],Indore [Indore School of Social Work AAS- Aim for Awareness of Society], Jabalpur [Jabalpur Diocesan Welfare Society],Jalgaon [Amar Sanstha],Jhabua [Jeevan Jyoti Health Service Society, Sampark Samaj Sevi Sanstha],Jamnagar** [Late J.V. Naria Education & Charitable Trust],**Kalyan [Aasara], Khandwa [Aastha Welfare Society],Kolhapur [Sangli Mission Society],Kutch** [Marag, Saraswatam, Yusuf Meherally Centre], **Kheda**[Kaira Social Service Society, Shri Vadlals S. Gandhi Charitable Trust (Kapadvanj],**Latur [Kala Pandhari Magasvargiya And Adivavasi Vikas Sanstha],Mandsaur [Vikalp Samajik Sansthan], Mandla** [National Institute Of Women Child And Youth Development, Kamyab Yuva Sanskar Samiti, *Vikalp Samaj Sevi Sanstha],**Mumbai [CHILDLINE India Foundation (Nodal), Youth for Unity and Voluntary Action, Committed Communities for Development Trust, Hamara Foundation, Navnirman Samaj Vikas Kendra],Nagpur [Matru Seva Sangh, Institute of Social Work, Bapuji Bahujan Samaj Kalyan Bahuddeshiya Sanstha, VARDAAN, Indian Association of Promotion of Adoption, Indian Centre For Integrated Development],Nanded** [Pariwar Pratisthan, Swami Ramanand Thirath University,School of Social Sciences],**Nashik [Navjeevan World Peace & Research Foundation, College of Social Work],Osmanabad [Shri Kulswamini Shikshan Prasarak Mandal (Collab)**, Shri Kulswamini Shikshan Prasarak Mandal (Sub centre)],**Panch Mahal[Developing Initiative for Social and Human Action],Parbhani** [Socio Economic Development Trust (SEDT)],**Pune [Dnyana Devi],Raigad[Disha Kendra, The Planning Rural Urban Integrated Developmnet Through Education India],Raisen [Institute of Social Research & Development, Krishak Sahyog Sansthan], Rajkot [Shri Pujit Memorial Trust],Ratlam [Savigya, Samarpan Care Awareness & Rehabilitation Center],Ratnagiri [M.S. Naik Foundation],Rewa [Ramashiv Bahuudaesheya Vikas Samiti],Sagar [Manav Vikas Seva Sanga], Sangli [Prakash Shikshan Parasarak Sanstha], Satara [Lokkalyan Charitable Trust, *Samajik Nyay Pratisthan,Phaltan],Satna [Samaritan Social Service Society], Shivpuri [Parhit Samaj Sevi Sanstha, RACHNA],Sholapur [Walchand College of Arts & Science],Surat [Pratham],Sindhudurg** [Vasundhara Public Charitable Trust, Atal Pratisthan, Jagruti Foundation, Jan Jagruti Sansth],**Thane** [Salam Balak Trust],**Ujjain [Kripa Social Welfare Society, Madhya Pradesh Institute of Social Science & Research],Valsad [Pratham],Vidisha[Vidisha Social Welfare Organization],Wardha** [National Institute of Women, Child and Youth Development, Aniket College of Social Work],**Yavatmal [Gramin Samassya Mukti Trust].**

*Partner only for part of the period

Contributions

CIF Team

Editor

Sudeesh PM

CHILDLINE India Foundation
406, Sumer Kendra, 4th floor
P.B Marg, Behind Mahindra Tower, Worli, Mumbai- 400 018
Ph: 022-2495 2610/11 | Fax: 022-2490 3509
www.childlineindia.org.in | E-mail: dial1098@childlineindia.org.in

BUBBLE DESIGN - design.bubble@gmail.com

CHILDLINE 1098 is a project supported by the Ministry of Women and Child Development (GOI), working in Partnership with state Governments, NGO'S, International Organizations, the Corporate Sector, Concerned Individuals and Children.